

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 31.12.2021 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 31.12.2021 को प्रातः 10:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1.	प्रो० आलोक चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो० प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
3.	प्रो० एस.एस. सिंह	सदस्य
4.	प्रो० मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
5.	प्रो० एल.व्ही.के.एस. भास्कर	सदस्य
6.	प्रो० व्ही.एस. राठौर	सदस्य
7.	प्रो० टी.व्ही. अर्जुनन	सदस्य
8.	प्रो० एम.के. सिंह	सदस्य
9.	डॉ० आर.के. चौबे	सदस्य
10.	डॉ० एस.के. प्रजापति	सदस्य
11.	प्रो० शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :-

1. प्रो० पी.के. बाजपेयी
2. प्रो० बी.एन. तिवारी
3. प्रो० डी.एन. सिंह
4. प्रो० ए.एस. रणदिवे
5. डॉ० बी.आर. रावटे

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्र. 01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 01.10.2021 एवं आपात बैठक दिनांक 02.12.2021, 13.12.2021 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।


विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 01.10.2021 एवं आपात बैठक दिनांक 02.12.2021, 13.12.2021 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

विषय क्र. 02 गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने पर विचार।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव को वर्तमान में स्थगित रखा जाय।


स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव प्रो० पी.के. मिश्रा अधिष्ठाता सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ को प्रेषित कर दिया जाय। प्रो० पी.के. मिश्रा प्रस्तुत प्रस्ताव का परीक्षण कर यथोचित अनुशंसा स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।


31/12/2021



31/12/2021


- विषय क्र. 03 MSW IV Sem. 2019-20 के छात्र रोहित कुमार एवं लोमस सिंह के परीक्षा परिणाम पर विचार।**
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रकरण की तथ्यात्मक जांच करायी जाय। इस हेतु तथ्यात्मक जांच समिति का गठन किया जाय। तथ्यात्मक जांच समिति प्रकरण के विभिन्न बिन्दुओं का परीक्षण कर यथोचित कार्यवाही हेतु अनुशंसा प्रस्तुत करेगी।
स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि समिति के सदस्य नामित करने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।
- विषय क्र. 04 गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) के लिए प्रस्ताव।**
विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने हेतु गठित समिति की अनुशंसानुसार समझौता ज्ञापन संपादित किया जाय।
- विषय क्र. 05 अकादमिक कैलेण्डर निर्धारण कर जारी किये गये की पुष्टि करने पर विचार।**
विचारोपरान्त जारी किये गये अकादमिक कैलेण्डर की पुष्टि की गई।
- विषय क्र. 06 पर्यावरण अध्ययन के हिस्से के रूप में आर्कटिक और ध्रुवीय मामलों पर अध्ययन को बढ़ावा देना।**
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि आर्कटिक एवं ध्रुवीय मामलों के अध्ययन हेतु केन्द्र स्थापित करने की कार्यवाही की जाय।
स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि अध्ययन केन्द्र स्थापित करने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत कराने समिति गठित की जाय।
स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि समिति के सदस्य नामित करने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।
- विषय क्र. 07 सॉर्टिंग हैट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलोर के साथ समझौता ज्ञापन का मसौदा प्रस्ताव।**
विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि सॉर्टिंग हैट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलोर के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने हेतु गठित समिति की अनुशंसानुसार समझौता ज्ञापन संपादित किया जाय।
- विषय क्र. 08 गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को एआईसीटीई डॉक्टरेट फेलोशिप देने संबंधी प्रेषित प्रस्ताव की सूचना ग्रहण करना।**
विचारोपरान्त सूचना ग्रहण की गई।


31/12/2021


31/12/2021 (2)


- विषय क्र. 09 शैक्षणिक सूचना सह डाटा बैंक सेल (एआईडीबी-सेल) की स्थापना और संबंधित कार्रवाई के लिए तैयार किए गए तौर-तरीके पर विचार।
विद्यापरिषद की स्थायी समिति द्वारा यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।
- विषय क्र. 10 शैक्षणिक सत्र 2022-23 से एम.टेक प्रवेश (सीसीएमटी) के लिए केंद्रीकृत परामर्श के माध्यम से इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के अध्ययन के विभिन्न विभागों में एम.टेक छात्रों को प्रवेश देने के लिए मसौदा प्रस्ताव।
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।
- विषय क्र. 11 अकादमिक सहयोग के लिए आईसीएसआई (भारत के कंपनी सचिव संस्थान) और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन का प्रस्ताव पर विचार।
विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि आईसीएसआई (भारत के कंपनी सचिव संस्थान) और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने हेतु गठित समिति की अनुशंसानुसार समझौता ज्ञापन संपादित किया जाय।
- विषय क्र. 12 प्रबंध अध्ययन विभाग द्वारा प्रस्तावित अध्यादेश प्रारूप पर विचार करना।
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत अध्यादेश प्रारूप का अनुमोदन किया जाय।
स्थायी समिति ने यह सूचना ग्रहण की कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 से ही प्रस्तावित अध्यादेश के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार कर अध्यापन कार्य किया जा रहा है।
- विषय क्र. 13 CUET के आयोजन संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र दिनांक 26.11.2021 पर विचार करना।
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि CUET के आयोजन हेतु विश्वविद्यालय सैद्धान्तिक रूप से सहमत है।
स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि CUET के आयोजन एवं विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण एवं चर्चा करने हेतु अधिष्ठाताओं की बैठक आहूत की जाय एवं अधिष्ठाताओं से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय का पक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पत्र के माध्यम से प्रेषित किया जाय।
- विषय क्र. 14 अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विद्यापीठ के विद्यार्थियों के शुल्क माफी संबंधी प्रस्ताव पर विचार।
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।


31/12/2021


31/12/2021

- विषय क्र. 15** डॉ० मनोहर लाल पटेल के द्वारा शोध प्रबंध प्रकाशित कराने की अनुमति संबंधी आवेदन पर विचार।
- विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि डॉ० मनोहर लाल पटेल के आवेदन को सुसंगत अध्यादेश के प्रावधानों के प्रकाश में परीक्षण हेतु अधिष्ठाता सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ को उपलब्ध करा दिया जाय।
- अधिष्ठाता सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ आवेदन के परीक्षणोपरान्त अपनी अनुशंसा स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
- विषय क्र. 16** **Question Paper Delivery System (QPDS) प्रणाली को समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रश्न पत्र तैयार करने एवं वितरण संबंधी।**
- विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव को विश्वविद्यालय में लागू किया जाय।
- स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव के बिन्दु क्रमांक-6 में यह अंकित किया जाय कि प्रश्न पत्र परीक्षा तिथि के दिन ही दो घण्टे पूर्व मुद्रित कराया जाय।
- विषय क्र. 17** शोधार्थियों द्वारा शोधग्रंथ हार्ड कॉपी के साथ-साथ सॉफ्ट कॉपी (पेन ड्राइव में पी.डी. एफ. के रूप में) प्रस्तुत करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार करना।
- स्थायी समिति के समक्ष यह जानकारी दी गई कि शोध ग्रंथों के परीक्षण के नीति निर्धारण हेतु प्रक्रिया निर्धारित करने समिति गठित की जा चुकी है, अतः विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव को उक्त समिति को उपलब्ध करा दिया जाय। गठित समिति यथा शीघ्र अपना प्रतिवेदन/प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।
- विषय क्र. 18** दूरवर्ती शिक्षा संस्थान (Institute of Distance Education) संचालित किये जाने विषयक।
- विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि दूरवर्ती शिक्षा संस्थान संचालित किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त करने समिति गठित की जाय।
- स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि समिति शैक्षणिक सत्र 2022-23 से दूरवर्ती शिक्षा संस्थान संचालित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत है।
- स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि समिति के सदस्य नामित करने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।
- विषय क्र. 19** विभिन्न अध्ययन मण्डलों की अनुशंसाओं के अनुमोदन पर विचार करना।
- विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विभिन्न अध्ययन मण्डलों की अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जाय।
- यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रस्तुत पाठ्यक्रम एवं अंक योजना विश्वविद्यालय के प्रभावी अध्यादेशों के अनुरूप होना सुनिश्चित करेंगे।


31/12/2021


31/12/2021

विषय क्र. 20 टाटा पावर स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (टीपीएसडीआई), मुंबई के साथ समझौता ज्ञापन का मसौदा प्रस्ताव।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि टाटा पावर स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (टीपीएसडीआई), मुंबई के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने हेतु गठित समिति की अनुशंसानुसार समझौता ज्ञापन संपादित किया जाय।

विषय क्र. 21 **Autoapps Engineering Solutions Pvt. Ltd., Pune** के साथ **MoU** के मसौदा प्रस्ताव पर विचार।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि Autoapps Engineering Solutions Pvt. Ltd., Pune के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने हेतु गठित समिति की अनुशंसानुसार समझौता ज्ञापन संपादित किया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण


अ.अ.वि.क्र.-1 प्रबंध अध्ययन विभाग में स्व-वित्तीय योजना के अंतर्गत बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 से ही स्व-वित्तीय योजना के अंतर्गत बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि इस हेतु प्राप्त प्रस्ताव एवं पाठ्यक्रम को संचालित करने वाले अध्यादेश प्रारूप का अनुमोदन किया जाय।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।


31/12/2021
कुलसचिव (कार्यवाहक) / सचिव


31/12/2021
कुलपति / अध्यक्ष

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.01.2022 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.01.2022 को सायं 04.00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई । बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1. प्रो० आलोक चकवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2. प्रो० पी.के.बाजपेयी	सदस्य
3. प्रो. प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
4. प्रो० एस.एस.सिंह	सदस्य
5. प्रो० ए.एस.रणदिवे	सदस्य
6. प्रो० मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
7. प्रो० एल.व्ही.के.एस.भास्कर	सदस्य
8. प्रो० बी.एन.तिवारी	सदस्य
9. प्रो० व्ही.एस.राठौर	सदस्य
10. प्रो० डी.एन.सिंह	सदस्य
11. प्रो० टी.व्ही. अर्जुनन	सदस्य
12. प्रो० एम.के.सिंह	सदस्य
13. डॉ० आर.के.चौबे	सदस्य
14. डॉ० एस.के.प्रजापति	सदस्य
15. डॉ० बी.आर.रावटे	सदस्य
16. प्रो० शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव(कार्यवाहक)	सचिव


निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

विषय क. 01 विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 31.12.2021 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना ।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 31.12.2021 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई ।

विषय क. 02 एक भारत श्रेष्ठ भारत योजनान्तर्गत सौराष्ट्र विश्वविद्यालय राजकोट (गुजराज) के साथ समझौता ज्ञापन का मसौदा प्रस्ताव पर विचार करना ।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत योजनान्तर्गत सौराष्ट्र विश्वविद्यालय राजकोट (गुजरात) के साथ समझौता ज्ञापन का मसौदा प्रस्ताव का अनुमोदन किया ।


27/01/2022

विषय क. 03 अधिष्ठाताओं एवं विभागाध्यक्षों की बैठक दिनांक 20.12.2021 के कार्यवृत्त पर विचार ।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने अधिष्ठाताओं एवं विभागाध्यक्षों की बैठक दिनांक 20.12.2021 के कार्यवृत्त एवं अनुशंसाओं का अनुमोदन किया ।

विषय क. 04 डॉ० मनोहर लाल पटेल के द्वारा शोध प्रबंध प्रकाशित कराने की अनुमति संबंधी आवेदन पर विचार ।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि डॉ० मनोहर लाल पटेल को स्वयं के व्यय पर शोध प्रबंध प्रकाशित कराने की अनुमति प्रदान की जाये ।

विषय क. 05 सेन्टर फॉर इन्डेंजर्ड लैंग्वेजेस के संयोजक द्वारा प्रस्तावित शुल्क संरचना पर विचार ।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव को स्थगित रखा जाये ।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि सेन्टर फॉर इन्डेंजर्ड लैंग्वेजेस के संयोजक विश्वविद्यालय के अधिष्ठाताओं के समक्ष सेन्टर फॉर इन्डेंजर्ड लैंग्वेजेस के वर्तमान स्टेट्स पर प्रस्तुतीकरण देंगे एवं अधिष्ठाताओं से आवश्यक सुझाव प्राप्त करेंगे । सुझाव प्राप्ति उपरांत यथोचित प्रस्ताव विद्यापरिषद की स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।

विषय क. 06 पर्यावरण अध्ययन को स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषय रखे जाने पर विचार ।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि पर्यावरण अध्ययन को स्नातक स्तर पर एच्छिक विषयों (AEC) के अंतर्गत अनिवार्य विषय के रूप में रखा जायेगा ।


विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि वर्तमान में प्रथम सेमेस्टर का अध्यापन कार्य प्रारंभ हो चुका है अतः पर्यावरण अध्ययन को द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर में अनिवार्य विषय के रूप में अध्यापन कराया जाये एवं आगामी बैचों में प्रथम सेमेस्टर से ही पर्यावरण अध्ययन को अनिवार्य विषय के रूप में AEC के अंतर्गत अध्यापन कराया जाये ।


विषय क. 07 डॉ० हरीश कुमार, प्रोफेसर, प्रबंध अध्ययन विभाग को शोध निर्देशक मान्य किये जाने संबंधी प्रकरण पर विचार ।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि डॉ० हरीश कुमार के प्रकरण पर संबंधित विद्यापीठ के अधिष्ठाता दस्तावेजों का परीक्षण कर लें एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में उन्नयन उपरांत पात्र घोषित होने पर उन्हें मान्य शोध निर्देशक होने संबंधी पत्र जारी कर देवे ।

विषय क. 08 विभिन्न अध्ययन मण्डलों की अनुशंसाओं के अनुमोदन पर विचार करना ।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विभिन्न अध्ययन मण्डलों द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों का अनुमोदन किया जाये ।


27/01/2022


27/01/22

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रस्तुत पाठ्यक्रम एवं अंक योजना विश्वविद्यालय के प्रभावी अध्यादेशों के अनुरूप होना सुनिश्चित करेंगे साथ ही साथ शोध कार्यक्रमों हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के लिये विश्वविद्यालय के शोध विनियम 2018 एवं समय-समय पर जारी अन्य दिशा निर्देशों के अधीन पाठ्यक्रम होना सुनिश्चित करेंगे ।

विषय क. 09 वानिकी वन्य जीव एवं पर्यावरण विभाग द्वारा प्रस्तावित एम.एस.सी. सीबीसीएस के तहत अध्यादेश के प्रारूप पर विचार करना ।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तावित अध्यादेश प्रारूप का अनुमोदन किया जाये ।

विषय क. 10 **Submission of Marks for Non-Credit Courses in the Samarth Portal** पर विचार किये जाने विषयक ।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाये ।

विषय क. 11 अध्ययन मण्डल प्रबंध अध्ययन विभाग की अनुशंसित एम.बी.ए. की पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार ।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों का अनुमोदन किया जाये ।


विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रस्तुत पाठ्यक्रम एवं अंक योजना विश्वविद्यालय के प्रभावी अध्यादेशों के अनुरूप होना सुनिश्चित करेंगे ।


विषय क. 12 **Memorandum of Understanding Between World Education Services (WES) and Guru Ghasidas Vishwavidyalaya (A Central University) Bilaspur, C.G., India** के मध्य हुये समझौता ज्ञापन की कार्योत्तर अनुमोदन पर विचार ।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि समझौता ज्ञापन की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाये ।

विषय क. 13 स्व वित्तीय योजना के अंतर्गत प्रारम्भ होने वाले कार्यक्रम बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट के विज्ञापन प्रारूप पर विचार ।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह अंकित किया कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन विद्यापरिषद तथा कार्यपरिषद द्वारा किया जा चुका है । उक्त पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के संबंध में कार्यपरिषद के सम्माननीय सदस्य प्रो० जी.डी.शर्मा, कुलपति द्वारा सुझाये गये बिंदुओं को समाहित करते हुये बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु विज्ञापन का प्रारूप प्रस्तुत किया गया है ।


27/01/22


27/01/22

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तावित विज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन निम्नानुसार संशोधनों के साथ किया जाये:-

1. अध्यादेश के प्रावधानों में पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 8 वर्ष कर दिया जाये ।
2. जारी होने वाले प्रवेश सूचना में अधिकतम आयु सीमा न रखा जाये ।

विषय क. 14 अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 24.01.2022 के कार्यवृत्त पर विचार ।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 24.01.2022 के एजेंडा 1, 2 एवं 3 पर प्राप्त अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जाये तथा एजेंडा 4 के अंतर्गत प्रस्तुत अनुशंसाओं को स्थगित रखा जाये ।


विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि एजेंडा 4 में प्रस्तावित संशोधनों पर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों के विभागाध्यक्ष, अधिष्ठातागण एवं परीक्षा नियंत्रक पुनर्विचार कर ले । पुनर्विचारोपरांत यथोचित प्रस्ताव विद्यापरिषद की स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये ।


अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना ।

अ.अ.विषय क.01 आई.क्यू.ए.सी. की बैठक दिनांक 25.01.2022 में कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के तहत शिक्षकों (सह-आचार्य, आचार्य) की पदोन्नति हेतु बनाये गये विनियम/नीति के अनुमोदन पर विचार करना ।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि आई.क्यू.ए.सी. की बैठक दिनांक 25.01.2022 में कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के तहत शिक्षकों (सह-आचार्य, आचार्य) की पदोन्नति हेतु बनाये गये विनियम/नीति का अनुमोदन किया जाये ।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक सम्पन्न हुई ।


27/01/2022
कुलपति/अध्यक्ष


27/01/22
कुलसचिव(कार्यवाहक)/सचिव


गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 16.02.2022 का कार्यवृत्त

विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 16.02.2022 को प्रातः 11:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

01.	प्रो० आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
02.	प्रो० पी.के. बाजपेयी	सदस्य
03.	प्रो० ए.एस. रणदिवे	सदस्य
04.	प्रो० एस.एस. सिंह	सदस्य
05.	प्रो० प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
06.	प्रो० एल.व्ही.के.एस. भास्कर	सदस्य
07.	प्रो० डी.एन. सिंह	सदस्य
08.	प्रो० टी.व्ही. अर्जुनन	सदस्य
09.	प्रो० बी.एन. तिवारी	सदस्य
10.	प्रो० व्ही. एस. राठौड़	सदस्य
11.	डॉ० नीलकांत पानीग्रही	सदस्य
12.	प्रो० अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
13.	डॉ० रेणु भट्ट	सदस्य
14.	प्रो० ए.के. सक्सेना	सदस्य
15.	डॉ० डॉ. के.के. चंद्रा	सदस्य
16.	डॉ० एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
17.	डॉ० पुष्पराज सिंह	सदस्य
18.	डॉ० बी.डी. मिश्रा	सदस्य
19.	डॉ० संजीत सरदार	सदस्य
20.	डॉ० ब्रजेश तिवारी	सदस्य
21.	डॉ० गोपा बागची	सदस्य
22.	डॉ० भारती अहिरवार	सदस्य
23.	प्रो० मनीषा दुबे	सदस्य
24.	डॉ० सुजीत कुमार	सदस्य
25.	प्रो० अनुपमा सक्सेना	सदस्य
26.	प्रो० जी.के. पात्रा	सदस्य
27.	डॉ० देवेन्द्र पटेल	सदस्य
28.	डॉ० ए.के. चन्द्राकर	सदस्य
29.	डॉ० आलोक कुमार कुशवाहा	सदस्य
30.	डॉ० रोहित राजा	सदस्य
31.	डॉ० सोमा दास	सदस्य
32.	प्रो० एस.सी. श्रीवास्तव	सदस्य
33.	प्रो० हरीश कुमार	सदस्य
34.	प्रो० प्रदीप शुक्ला	सदस्य


16/02/2022


16/02/22

35.	प्रो० एम.के. सिंह	सदस्य
36.	प्रो० प्रतिभा जे. मिश्रा	सदस्य
37.	प्रो० एस.एन. साहा	सदस्य
38.	डॉ० पारिजात ठाकुर	सदस्य
39.	डॉ० आर.के. चौबे	सदस्य
40.	डॉ० अरुण कुमार सिंह	सदस्य
41.	डॉ० व्ही.व्ही.एस.सूर्य कुमार दादी	सदस्य
42.	डॉ० एस.एस. धुरिया	सदस्य
43.	डॉ० एस.के. प्रजापति	सदस्य
44.	श्री दिलिप झा	सदस्य
45.	डॉ० विकास कुमार पाण्डेय	सदस्य
46.	डॉ० डॉ० राघवेन्द्र सिंह ठाकुर	सदस्य
47.	डॉ० बी.आर. रावटे	सदस्य
48.	डॉ० ए.के. शर्मा, ग्रंथपाल	सदस्य
49.	श्री प्रदीप देशपाण्डेय	सदस्य
50.	प्रो० संजीत कुमार गुप्ता, आचार्य, गोरखपुर (ऑनलाईन उपस्थित)	सदस्य
51.	श्री दीपक शर्मा, भोपाल (ऑनलाईन उपस्थित)	सदस्य
52.	प्रो. शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव(कार्यवाहक)	सचिव

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं थे :-

01. प्रो० मनीष श्रीवास्तव
02. डॉ० पी.पी. मूर्ति

बैठक के प्रारंभ में कुलपति/अध्यक्ष विद्यापरिषद् ने विद्यापरिषद् के समस्त सम्माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विकास में विद्यापरिषद् की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की एवं सदस्यों से आह्वान किया कि विश्वविद्यालय को वैश्विक स्तर पर स्थान दिलाने के लिए विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्य एकजुट होकर कार्य करेंगे।


इसके पश्चात् अध्यक्ष की अनुमति से विषय वस्तु पर चर्चा प्रारम्भ हुई, जिसमें निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-


विषय क्र.-01 विद्यापरिषद् की आवश्यक बैठक दिनांक 25.11.2021 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

विद्यापरिषद् की आवश्यक बैठक दिनांक 25.11.2021 के कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई।

विषय क्र.-02 विद्यापरिषद् की आवश्यक बैठक दिनांक 25.11.2021 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।

विद्यापरिषद् की आवश्यक बैठक दिनांक 25.11.2021 के पालन प्रतिवेदन से अवगत हुए एवं सूचना ग्रहण की।


16/02/2022


16/02/22

विषय क्र.-03

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 02.12.2021, 13.12.2021, 31.12.2021 एवं 27.01.2022 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 02.12.2021, 13.12.2021, 31.12.2021 एवं 27.01.2022 के कार्यवृत्तों का अनुमोदन किया गया।

विद्यापरिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.01.2022 के कार्यवृत्त में से अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय क्रमांक-1 में आंशिक संशोधन करते हुए "शिक्षको (सह-आचार्य, आचार्य)" के स्थान पर "शिक्षकों (लेवल 12 से 13ए एवं 13ए से 14)" अंकित किया जाय।

विद्यापरिषद् ने यह और भी निर्णय लिया कि स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत एम.ओ. यू के विषय एवं शर्तों की जानकारी आई.क्यू.ए.सी. के निर्देशक विद्यापरिषद् के सदस्यों को उपलब्ध करायेंगे।

विषय क्र.-04

सीबीसीएस प्रणाली के अंतर्गत एम.बी.ए. पाठ्यक्रम संचालित हेतु अध्यादेश के प्रारूप पर विचार करना।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि सीबीसीएस प्रणाली के अंतर्गत एम.बी.ए. पाठ्यक्रम के संचालन हेतु अध्यादेश के प्रारूप का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र.-05

विभिन्न विद्यापीठों के अधीन पुर्नगठित विद्यापीठ मंडल (स्कूल बोर्ड) में विद्यापरिषद् की ओर से नामित सदस्यों की पुष्टि करने बाबत।

विचारोपरान्त विद्यापरिषद् द्वारा सूचना ग्रहण करते हुए कृत कार्यवाही की पुष्टि की गई।

विषय क्र.-06

सीबीसीएस प्रणाली के अंतर्गत एम.एससी वानिकी वन्य जीव एवं पर्यावरण पाठ्यक्रम संचालित हेतु अध्यादेश के प्रारूप पर विचार करना।

विद्यापरिषद् ने यह निर्णय लिया कि सीबीसीएस प्रणाली के अंतर्गत एम.एससी वानिकी, वन्य जीव एवं पर्यावरण पाठ्यक्रम के संचालन हेतु अध्यादेश के प्रारूप का अनुमोदन किया जाय।

पूरक कार्यसूची

पूरक वि.क्र. 01.


विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 14.02.2022 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।


विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 14.02.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया जाय।

पूरक वि.क्र. 02.

अध्यादेश क्र-74 को निरसित कराये जाने पर विचार करना।

विचारोपरान्त विद्यापरिषद् निर्णय लिया गया कि अध्यादेश क्र-74 को निरसित किये जाने की अनुशंसा कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।


16/02/2022


16/02/22

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण


अ.वि.क्र. 01.

विद्यापरिषद के समक्ष कुलसचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के द्वारा कतिपय विद्यार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त अभ्यावेदन में विद्यार्थियों ने सेमेस्टर परीक्षाएँ ऑन लाईन कराये जाने हेतु अनुरोध प्रस्तुत किया है।


विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 15.02.2022 को कार्यालयीय ज्ञाप जारी करते हुए स्नातक स्तर के अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों एवं स्नातकोत्तर स्तर के सभी सेमेस्टर्स की परीक्षाएँ ऑफ लाईन कराये जाने की व्यवस्था की गई है। उक्त कार्यालयीय ज्ञाप के अनुक्रम में ही विद्यार्थियों द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः विद्यापरिषद यह निर्णय लेती है कि वर्तमान में विश्वविद्यालय के विद्यार्थीगण जिस सेमेस्टर में अध्ययनरत हो उस सेमेस्टर की अंतिम परीक्षाएँ ऑन लाईन आयोजित कराया जाय। इस निर्णय के परिपेक्ष में संशोधित ज्ञाप जारी किया जाय।

बैठक के अंत में, कुलसचिव/सचिव ने बैठक में उपस्थित सदस्यों तथा अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।



(प्रो० आलोक कुमार चक्रवाल)
कुलपति/अध्यक्ष



(प्रो० शैलेन्द्र कुमार)
कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.07.2021 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.07.2021 को सायं 04:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा कुलपति महोदय के नियुक्ति उपरान्त आयोजित प्रथम बैठक के प्रारम्भ में विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के सदस्यों के द्वारा माननीय कुलपति प्रो० आलोक कुमार चक्रवाल का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1.	प्रो० आलोक चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो० ए.के. सक्सेना	सदस्य
3.	प्रो० मनीषा दुबे	सदस्य
4.	प्रो० जी.के. पात्रा	सदस्य
5.	प्रो० मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
6.	प्रो० प्रतिभा जे. मिश्रा	सदस्य
7.	प्रो० एम.व्ही.के.एस. भास्कर	सदस्य
8.	प्रो० बी.एन. तिवारी	सदस्य
9.	प्रो० व्ही.एस. राठौर	सदस्य
10.	प्रो० डी.एन. सिंह	सदस्य
11.	प्रो० टी.व्ही. अर्जुनन	सदस्य
12.	प्रो० पी.के. बाजपेयी	सदस्य
13.	प्रो० ए.एस. रणदिवे	सदस्य
14.	प्रो० एम.के. सिंह	सदस्य
15.	प्रो० शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :-

1. प्रो० एस.एस. सिंह

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्र. 01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08.04.2021 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08.04.2021 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

विषय क्र. 02 विश्वविद्यालय में एलुमनाई एंडोमेंट फण्ड की स्थापना संबंधी प्रस्ताव एवं योजना बाबत।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में एलुमनाई एंडोमेंट फण्ड की स्थापना संबंधी प्राप्त प्रस्ताव को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के सदस्यों, नोडल अधिकारी एवं वित्ताधिकारी को पुनः परिक्षण हेतु प्रेषित कर उनकी अनंशंसा सहित संशोधित प्रस्ताव को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

- विषय क्र. 03 विभागाध्यक्षों की नियुक्ति एवं चक्रानुक्रम संबंधी अध्यादेश के प्रारूप पर विचार।
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अध्यादेश के प्रस्तुत प्रारूप का अनुमोदन किया जाय।
स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि अध्यादेश के प्रारूप के अंत में एक पैरा-8 जोड़ा जाय जो निम्नानुसार रहेगा—
"Notwithstanding anything said in the Ordinance, the Vice-Chancellor of the University may appoint any Professor/Associate Professor as the Head of the Department in the interest of the University."
- विषय क्र. 04 शोधार्थियों को प्रयोगशाला में शोध कार्य किये जाने की अनुमति प्रदान संबंधी।
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि ऐसे शोधार्थी जो शोध कार्य हेतु स्वेच्छा से विश्वविद्यालय के शोध केन्द्रों एवं प्रयोगशालाओं में आना चाहते हैं, उन्हें शोध केन्द्रों एवं प्रयोगशालाओं में आने की अनुमति प्रदान की जाय तथा यह निर्देशित भी कर दिया जाय कि उन्हें शोध केन्द्रों एवं प्रयोगशालाओं में आने पर Covid-19 के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
- विषय क्र. 05 विद्यापीठ इंजीनियरिंग एवं टेक्नालॉजी के अधीन संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् छात्रों से टेकफेस्ट फीस सत्र 2020-21 से नहीं लेने संबंधी प्रस्ताव पर विचार।
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव पर संबंधित विद्यापीठ के अधिष्ठाता एवं अन्य अधिष्ठातागण पुनर्विचार कर एवं तदोपरान्त यथोचित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।
- विषय क्र. 06 विद्यापीठ इंजीनियरिंग एवं टेक्नालॉजी के अंतर्गत तीन नवीन (M.Tech) पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रारंभ किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार।
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने प्रस्तुत सूचना ग्रहण करते हुए यह निर्णय लिया कि आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जाय।
स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि विगत वर्षों में प्रचलित प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार ही एम.टेक, एम.फार्मा एवं एम.बी.ए. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश सूचना पृथक से जारी कर दिया जाय।
- विषय क्र. 07 स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों के लिये सीट संख्या का निर्धारण करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार।
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि निम्नलिखित विभागों की सीटें निम्नानुसार होंगी—



क्र.	विभाग का नाम	विषय	पीजी सीट संख्या
1.	शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त भौतिकी विभाग	भौतिकी	60 सीट
		इलेक्ट्रॉनिक्स	35 सीट
2.	रसायन विभाग		60 सीट

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि सीट संख्या निर्धारण हेतु गठित समिति की अनुशंसाओं का उपरोक्त विभागों को छोड़कर शेष अन्य विभागों हेतु अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 08 विश्वविद्यालय के अधिष्ठाताओं के बैठक दिनांक 07.07.2021 के कार्यवृत्त पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 07.07.2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि ऑनलाईन आयोजित हो रहे सेमेस्टर परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकायें एवं अंक सॉफ्ट कॉपी में ही गोपनीय विभाग में जमा कराया जाय। इस हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से जारी किया जाय।

विषय क्र. 09 विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में नियुक्त अस्थाई शिक्षकों की सेवा वृद्धि के अनुमोदन बाबत।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि कृत कार्यवाही की पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 10 Submission of MoU to be signed between, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, University Grants Commission and Ministry of Education for the year 2021-22.

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि एम.ओ.यू. कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत कर दिया जाय।

विषय क्र. 11 Credit योजना एवं परीक्षा परिणाम पर निर्णय के संबंध में।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने प्रस्तुत प्रस्ताव पर निम्नानुसार निर्णय लिया कि—

01. विश्वविद्यालय के तत्कालीन विभागाध्यक्षों एवं अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 20.03.2010 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया जाय एवं इस संबंध में अद्यतन कृत कार्यवाही की पुष्टि की जाय।
02. आंतरिक मूल्यांकन के अंकों को आगामी कक्षाओं में मान्य किये जाने (Carry forward) संबंधी कार्यवाही अध्यादेश के प्रावधानानुसार सम्पादित की जाय। परीक्षा नियंत्रक कार्यालय इस संबंध में आवश्यक सूचना संबंधित विभागों को जारी करे।

03. कृपांक (Grace Marks) के संबंध में कार्यवाही प्रभावी अध्यादेशों के प्रावधानानुसार ही की जाय।
04. स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि बी.एससी. फॉरेस्ट्री हेतु जारी प्रस्तावानुसार परिणामों की पुष्टि की जाय तथा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में कार्यवाही अनुमोदित अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप ही संपादित किया जाय।

विषय क्र. 12 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा **SWAYM** के संबंध में जारी दिशा-निर्देश पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्राप्त दिशा-निर्देशों संबंधी सूचना ग्रहण की जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि नोडल अधिकारी द्वारा ई-मेल के माध्यम से प्रेषित जानकारी पर विश्वविद्यालय के विद्यापीठ के अधिष्ठाताओं द्वारा विचार किया जाय एवं यथा आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्र. 13 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त पत्र दिनांक 18 जुलाई, 2021 पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन मंगाकर ऑनलाईन परीक्षा आयोजित कर प्राविण्यता के आधार पर प्रवेश प्रदान किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रवेश सूचना में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा एवं पीएच.डी. अर्थात् व्ही.ई.टी. एवं व्ही.आर.ई.टी. दोनों को शामिल करते हुए प्रवेश सूचना जारी किया जाय।

स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि ऑनलाईन प्रवेश परीक्षा आयोजित करने हेतु सेवा प्रदाता फार्मों की सेवायें ली जाय एवं सेवा प्रदाता फर्म के निर्धारण हेतु आवश्यक निविदा जारी किये जाने संबंधी कार्यवाही की जाय।

स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि निविदा सूचना जारी किये जाने हेतु निविदा सूचना प्रारूपण हेतु तकनीकी समिति गठित की जाय। तकनीकी समिति के सदस्यों के नाम नामित किये जाने हेतु कुलपति महोदय स्थायी समिति की ओर से अधिकृत रहेंगे।

विषय क्र. 14 आंग्ल एवं विदेशी भाषा विभाग के शोधार्थियों के द्वारा शोध ग्रंथ जमा कराये जाने के लिये अतिरिक्त समयावधि प्रदान किये जाने संबंधी आवेदनों पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि Covid-19 के कारण प्रभावित शोधार्थियों को शोध ग्रंथ जमा करने हेतु UGC public notice F.No.1-10/2020(CPP-III) दिनांक 16.03.2021 के अनुक्रम में 31 दिसम्बर 2021 तक अतिरिक्त समयावधि प्रदान कर दिया जाय।

विषय क्र. 15 अध्ययन मण्डल मानव विज्ञान विभाग द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम के अनुमोदन की पुष्टि पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अनुशंसित पाठ्यक्रम का अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना विश्वविद्यालय में प्रभारी शोध अध्यादेश एवं विनियम के अनुरूप हो।

विषय क्र. 16 परीक्षा एवं अकादमिक कैलेंडर के निर्धारण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 16 जुलाई, 2021 को जारी दिशा-निर्देशों पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि यूजीसी से प्राप्त पत्र विश्वविद्यालय में परीक्षा एवं अकादमिक कैलेंडर के नीति निर्धारण हेतु गठित समिति को अंतरित कर दिया जाय।

विषय क्र. 17 फार्मसी विभाग के द्वारा एम.फार्म. के लिए सीट संख्या वृद्धि संबंधी प्रस्तुत जानकारी पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने प्रस्तुत सूचना ग्रहण करते हुए यह निर्णय लिया कि आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि विगत वर्षों में प्रचलित प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार ही एम.टेक, एम.फार्मा एवं एम.बी.ए. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश सूचना पृथक से जारी कर दिया जाय।

विषय क्र. 18 NAD/डिजिलॉकर के लिए उपाधि/पत्रोपाधि प्रारूप अनुमोदन एवं 2014-15 से 2018-19 का डाटा NSDML एवं CVL से डिजिलॉकर में ट्रांसफर बाबत।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि डिजिलॉकर में निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार ही प्रमाण पत्र डिजिटल माध्यम से जारी कराया जाय एवं वर्तमान में उपलब्ध डाटा को डिजिलॉकर में अपलोड किये जाने संबंधी कार्यवाही किया जाय।

पूरक कार्यसूची

विषय क्र. 1 NCC को एक वैकल्पिक विषय के रूप में पाठ्यक्रमों में शामिल किये जाने पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्राप्त प्रस्ताव को विद्यापीठ के अधिष्ठाताओं की बैठक में पृथक से प्रस्तुत किया जाय एवं अधिष्ठाताओं से प्राप्त अनुशंसा को स्थायी समिति के समक्ष आगामी बैठकों में प्रस्तुत किया जाय।



विषय क्र. 2 Payment of Non-NET Fellowship to Shri Rudra Pratap Singh, Student of Journalism and Mass Communication Department.

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रकरण की तथ्यात्मक जांच एवं यथोचित अनुशंसा प्राप्त करने हेतु समिति गठित की जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे -

- | | | |
|-----|--------------------------|-----------|
| 01. | अधिष्ठाता, कला विद्यापीठ | - अध्यक्ष |
| 02. | प्रो० पी.के. बाजपेयी | - सदस्य |
| 03. | प्रो० पी.जे. मिश्रा | - सदस्य |
| 04. | प्रो० व्ही. एस. राठौड़ | - सदस्य |
| 05. | परीक्षा नियंत्रक | - सदस्य |
| 06. | सहायक कुलसचिव-अकादमी | - सदस्य |

विषय क्र. 3 To consider the implementation of University elective courses under CBCS from forth coming Academic session 2021-22.

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव को विद्यापिठों के अधिष्ठाताओं को वितरित किया जाय एवं अधिष्ठाताओं की आगामी बैठक में इस संबंध में विचार कर यथोचित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।


कुलसचिव (प्रभारी) / सचिव


कुलपति / अध्यक्ष


गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की आवश्यक बैठक दिनांक 27.08.2021 के कार्यवृत्त

विद्यापरिषद् की आवश्यक बैठक दिनांक 27.08.2021 को पूर्वान्ह 10:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

01.	प्रो० आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
02.	प्रो० ए.के. सक्सेना	सदस्य
03.	प्रो० एस.एस. सिंह	सदस्य
04.	प्रो० मनीषा दुबे	सदस्य
05.	प्रो० एल.व्ही.के.एस. भास्कर	सदस्य
06.	जी.के. पात्रा	सदस्य
07.	प्रो० व्ही.एस. राठौर	सदस्य
08.	प्रो० मनीष श्रीवास्तव	सदस्य
09.	प्रो० प्रतिभा जे. मिश्रा	सदस्य
10.	प्रो० डी.एन. सिंह	सदस्य
11.	प्रो० बी.एन. तिवारी	सदस्य
12.	प्रो० टी.व्ही. अर्जुनन	सदस्य
13.	डॉ० निलकांत पानीग्रही	सदस्य
14.	डॉ० रेणु भट्ट	सदस्य
15.	प्रो० पी.के. बाजपेयी	सदस्य
16.	डॉ० एस.सी. तिवारी	सदस्य
17.	डॉ० पुष्पराम सिंह	सदस्य
18.	डॉ० बी.डी. मिश्रा	सदस्य
19.	प्रो० प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
20.	डॉ० ब्रजेश तिवारी	सदस्य
21.	डॉ० सी.एस. वझलवार	सदस्य
22.	डॉ० अनुपमा सक्सेना	सदस्य
23.	डॉ० सुशील कुमार शाहिल	सदस्य
24.	डॉ० ए.के. चंद्राकर	सदस्य
25.	डॉ० आलोक कुमार कुशवाहा	सदस्य
26.	डॉ० रोहित राजा	सदस्य
27.	डॉ० एस.सी. श्रीवास्तव	सदस्य
28.	डॉ० एम. चक्रधर राव	सदस्य
29.	प्रो० ए.एस. रणदिवे	सदस्य
30.	प्रो० एस.एस. सिंह	सदस्य
31.	डॉ० रश्मि अग्रवाल	सदस्य
32.	डॉ० पारिजात ठाकुर	सदस्य
33.	डॉ० अश्वनी कुमार दीक्षित	सदस्य
34.	डॉ० संजीत कुमार सरदार	सदस्य
35.	डॉ० आर.के. चौबे	सदस्य
36.	डॉ० नमिता शर्मा	सदस्य
37.	श्री अमित बघेल	सदस्य


27.08.21

38.	डॉ० अनामिका तिवारी	सदस्य
39.	डॉ० एस.एस. ठाकुर	सदस्य
40.	डॉ० अमितेश झा	सदस्य
41.	डॉ० ए.के. शर्मा	सदस्य
42.	डॉ० जोरम बेगी, अरुणाचल प्रदेश (ऑनलाईन उपस्थित)	सदस्य
43.	डॉ० एस.बी. कोनाले, मैसूर	सदस्य
44.	श्री प्रदीप देशपाण्डे, बिलासपुर	सदस्य
45.	डॉ० एम.एन. त्रिपाठी, अधिष्ठाता छात्रकल्याण	सदस्य
46.	प्रो. शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव(कार्यवाहक)	सचिव

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं थे :-

01. प्रो० अशोक कुमार मिश्रा
02. डॉ० पी.पी. मूर्ति
03. डॉ० व्ही.डी. रंगारी
04. प्रो० भारत भास्कर, रायपुर
05. प्रो० कमलेश पी. जोशिपुरा, राजकोट

बैठक के प्रारंभ में कुलपति/अध्यक्ष विद्यापरिषद् ने विद्यापरिषद् के समस्त सम्माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विकास में विद्यापरिषद् की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की एवं सदस्यों से आह्वान किया कि विश्वविद्यालय को वैश्विक स्तर पर स्थान दिलाने के लिए विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्य एकजुट होकर कार्य करेंगे।

इसके पश्चात् अध्यक्ष की अनुमति से विषय वस्तु पर चर्चा प्रारम्भ हुई, जिसमें निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्र.-01 विद्यापरिषद् की आवश्यक बैठक दिनांक 06.10.2020 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।


विद्यापरिषद् की आवश्यक बैठक दिनांक 06.10.2020 के कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई।

विषय क्र.-02 विद्यापरिषद् की आवश्यक बैठक दिनांक 06.10.2020 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।

विद्यापरिषद् की आवश्यक बैठक दिनांक 06.10.2020 के पालन प्रतिवेदन से अवगत हुए।

विषय क्र.-03 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.10.2020, 09.11.2020, 23.11.2020, 16.02.2021, 26.02.2021, 09.03.2021, 08.04.2021 एवं 28.07.2021 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.10.2020, 09.11.2020, 23.11.2020, 16.02.2021, 26.02.2021, 09.03.2021, 08.04.2021 एवं 28.07.2021 के कार्यवृत्तों का अनुमोदन किया गया।



विषय क्र.-04

अध्यादेश क्रमांक-73 एवं क्रमांक-74 को विद्यापरिषद में रखे जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार।

विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि विषय क्रमांक-4 एवं विषय क्रमांक-6 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय तथा एकजाई कर संशोधन सहित अनुमोदन हेतु कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

विद्यापरिषद ने यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के उपाधियों से संबंधित अध्यादेशों के पुनर्विचार एवं प्रारूपण हेतु समिति गठित की जाय। समिति के सदस्य नामित करने हेतु कुलपति महोदय विद्यापरिषद की ओर से अधिकृत रहेंगे।

विषय क्र.-05

विभागाध्यक्षों की नियुक्ति एवं चक्रानुक्रम संबंधी अध्यादेश के प्रारूप पर विचार करना।

विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तावित अंतिम पैरा-8 में Said in के स्थान पर Said as above in पढ़ा जाय एवं तदनुसार प्रस्तावित अध्यादेश अनुमोदित किया जाय।

विषय क्र.-06

M.Sc. बायोटेक्नालॉजी पाठ्यक्रम के अध्यादेश क्रमांक-74 हेतु प्रस्तावित संशोधन पर विचार।

विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि विषय क्रमांक-4 एवं विषय क्रमांक-6 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय तथा एकजाई कर संशोधन सहित अनुमोदन हेतु कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्र.-07

श्रीमती रागिनी दुबे के शोध ग्रंथ जमा करने हेतु अतिरिक्त समयावधि आवेदन एवं विभागीय शोध समिति के कार्यवृत्त दिनांक 28.06.2021 पर विचार।


विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि रागिनी दुबे का प्रकरण शिक्षा विभाग के विभागीय शोध समिति को नियमों के प्रकाश में पुनर्विचार हेतु अंतरित कर दिया जाय।

विद्यापरिषद ने यह भी निर्णय लिया कि विभागीय शोध समिति से प्राप्त होने वाले अनुशंसा/निर्णय को विद्यापरिषद की स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्र.-08

विश्वविद्यालय शोध विनियम 2018 के नियमन R 4.5.2 में संशोधन पर विचार।

विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन किया जाय एवं इस संबंध में कृत कार्यवाही की पुष्टि की जाय।



अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार।

अ.अ.वि.क्र.01.

Nomination of Six Teachers by the Academic Council for constitution of the Academic Planning, Development and Monitoring Board in Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur.


विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि विद्यापरिषद की ओर से सदस्य नामित किये जाने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।


अ.अ.वि.क्र.02.

आंतरिक गुणवत्ता एवं आश्वासन प्रकोष्ठ समिति की बैठक दिनांक 26.08.2021 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

विद्यापरिषद ने प्रस्तुत कार्यवृत्त का अवलोकन कर अनुमोदन किया।

बैठक के अंत में कुलसचिव ने बैठक में आमंत्रित बाह्य सदस्यों एवं आंतरिक सदस्यों तथा अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।


27/08/2021
(प्रो० आलोक कुमार चक्रवाल)
कुलपति/अध्यक्ष


27-08-21
(प्रो० शैलेन्द्र कुमार)
कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.03.2018 एवं स्थगित बैठक दिनांक 12.03.2018 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.03.2018 को सायं 4:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1.	प्रो. अंजिला गुप्ता, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो. पी.के. बाजपेयी	सदस्य
3.	प्रो. ए.एस. रणदिवे	सदस्य
4.	प्रो. मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
5.	प्रो. व्ही.डी. रंगारी	सदस्य
6.	प्रो. विशन सिंह राठौड़	सदस्य
7.	प्रो. एम.के. सिंह	सदस्य
8.	डॉ. रेणु भट्ट	सदस्य
9.	प्रो. शैलेन्द्र कुमार	सदस्य
10.	डॉ. एस.एस. धुरिया	सदस्य
11.	डॉ. एम.सी. राव	सदस्य
12.	डॉ. राकेश पाण्डेय	सदस्य
13.	प्रो. बी.एन. तिवारी, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्र. 01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 14.02.2018 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 14.02.2018 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि इस संशोधन के साथ की गई कि अध्यक्ष के अनुमति से अन्य विषय में "विनियम" को स्पष्ट रूप से "छात्र परिषद् संबंधी विनियम" लिखा जाये।

विषय क्र. 02 अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 10-02-2018 के कार्यवृत्त पर विचार।

अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 10-02-2018 के कार्यवृत्त पर विचार कर निम्नानुसार निर्णय स्थायी समिति द्वारा लिया गया -

(अ) शोध अध्यादेश एवं विनियम के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

(ब) अकादमिक कैलेंडर 2018-19 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रदत्त कार्यों को तय समयावधि में पूर्ण करने की जिम्मेदारी संबंधित शिक्षक की होगी।

(स) VET 2018 के लिए Integrated programme के स्थान पर B.A. / B.Sc. / B.Com. के साथ विज्ञापन जारी करने अध्यादेश में संशोधन कर आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(द) मानदेय संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाये तथापि विषय वित्त समिति के समक्ष सूचनार्थ रखा जाये। समिति ने यह भी निर्णय लिया कि देय पारिश्रमिक / मानदेय में 01 शिफ्ट की परीक्षा होने पर पर्यवेक्षकों का देयक राशि का आधी राशि (जैसे पर्यवेक्षक के रु 1000 का आधा रु 500) तथा 200 रु. परिवहन भत्ता पूरा प्रदान किया जाये। यदि किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय की ओर से वाहन प्रदान किया जाता है तो परिवहन भत्ता प्रदान न किया जाये।

213/अकाद
5-03-18

Raj

(ई) प्रस्तावित दरों का अनुमोदन किया जाये तथापि विषय वित्त समिति के समक्ष सूचनार्थ रखा जाये।

विषय क्र. 03 VET परीक्षा आयोजन हेतु प्रश्नपत्र के माध्यम पर विचार।

समिति ने निर्णय लिया कि वर्ष 2018 की VET पूर्व वर्षों की भांति ही करा ली जाये। सभी प्रश्न पत्रों को द्विभाषी करने की व्यवस्था वर्ष 2019 के VET में आवश्यक रूप से की जाये।

विषय क्र. 04 कुलाधिपति पदक वितरण संबंधी विनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार करना।

स्थायी समिति ने कुलाधिपति पदक के लिए वितरण संबंधी विनियम में प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन किया।

विषय क्र. 05 M/S Envirocare Enterprises, New Delhi द्वारा सेंदरी बिलासपुर में स्थापित अवशिष्ट शुद्धिकरण यंत्र से निकले हुए पानी की जांच एवं विशेषज्ञ परामर्श हेतु किये गये निवेदन पर विचार करना।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्राप्त प्रस्ताव पर अनुमति प्रदान की जाये तथा भविष्य में ऐसे प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए स्पष्ट नीति (विनियम) का निर्धारण कर लिया जाये।

विषय क्र. 06 अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला के बी.टेक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों का मिड सेमेस्टर प्रैक्टिकल / सेशनल (आंतरिक) परीक्षा के संचालन/ आयोजन बाबत।

स्थायी समिति ने निर्णय लिया कि प्रभावी अध्यादेश के अनुसार कार्यवाही करने के लिए संबंधित अधिष्ठाता अधिकृत रहेंगे। अधिष्ठाता अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला, अध्यादेशों के अधीन कार्यवाही संपन्न करेंगे।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

- अ.अ.क. 1 अधिष्ठाताओं के समिति की बैठक दिनांक 30.11.2016 के कार्यवृत्त में आ रही परेशानी का निराकरण करते हुए निर्णय लिया गया कि बहुमत से लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही संपादित किया जाये
- अ.अ.क. 2 Chair के सृजन संबंधी प्राप्त प्रस्तावों पर चर्चा की गई तथा निर्णय लिया गया कि UGC द्वारा जिन चेयर्स के सृजन के प्रस्ताव मंगाये जाते हैं उन्ही चेयर्स के प्रस्ताव बनाकर सृजन संबंधी कार्यवाही की जाये।
- अ.अ.क. 3 अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला के विज्ञापित पदों की अर्हता के पुनर्निर्धारण किये जाने की आवश्यकता है। अतः UGC एवं AICTE के प्रावधानों के प्रकाश में अर्हता संबंधी उचित प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु एक समिति गठित की जाये। समिति के सदस्य नामित करने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगी।
- अ.अ.क. 4 विकलांग छात्रों एवं उम्मीदवारों को लेखन सहायक प्रदान करने की आवश्यकता होती है और उन्हें पारिश्रमिक दिया जाना उचित प्रतीत होती है। अतः पारिश्रमिक प्रदान किये जाने के प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष रखा जाये।



विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की दिनांक 09.03.2018 की स्थगित
बैठक दिनांक 12.03.2018 का कार्य विवरण

अ.अ.क. 5

CBCS प्रणाली के तहत प्रस्तुत अध्यादेशों के प्रारूपण पर विचार।

विश्वविद्यालय के द्वारा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 13.7.2009 में अनुमोदित 34 प्रथम अध्यादेश मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अगस्त 2009 में प्रेषित किया गया था, परन्तु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इन अध्यादेशों पर तत्समय किसी प्रकार के अनुमोदन या अनापत्ति संबंधी जानकारी नहीं भेजी गयी थी। अतः भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की अनुमति हेतु पुनः 34 अध्यादेश मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रेषित किये गये थे। उनमें से अध्यादेश क्रमांक 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 19 एवं 21 पर पर अन्य अध्यादेशों के साथ-साथ कतिपय टिप्पणियां अंकित कर सुधार करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निर्देशित किया था। उक्त टिप्पणियों के आधार पर संबंधित विभागाध्यक्षों से परामर्श उपरांत अधिष्ठाताओं के द्वारा अध्यादेशों को पुनः प्रारूपित किया गया है। यह भी कि वर्तमान में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में UGC द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर CBCS प्रणाली लागू हो चुकी है। अतः उक्त अध्यादेशों का CBCS प्रणाली के अनुरूप प्रारूपण किया गया है।

यह भी कि विश्वविद्यालय के सक्षम सांविधिक निकायों के द्वारा वर्तमान में प्रचलित पंचवर्षीय एकीकृत UG/PG पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक सत्र 2018-19 से समाप्त करते हुए 3 वर्षीय स्नातक (आनर्स) पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया गया एवं उक्त 3 वर्षीय (6 सेमेस्टर) अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए सत्र 2018-19 से प्रभावी होने वाले पाठ्यक्रमों के अध्यादेशों को भी प्रारूपित किया गया।


उक्त के अनुक्रम में समिति द्वारा निम्नलिखित अध्यादेशों के प्रारूपों का अनुमोदन किया गया -


1. बी. एससी0 (आनर्स)
2. बी0ए0 (आनर्स)
3. बी0 कॉम0 (आनर्स)
4. बी0एस0 डब्ल्यू0
5. बी0 एड0 / बी0 एड0 स्पेशल
6. एम0एड0
7. बी0पी0एड0
8. एम0पी0एड0
9. बी0 लिब0
10. एम0 लिब0
11. बी0 टेक
12. बी0ए0एल0एल0बी0 / बी0 कॉम एल0एल0बी0
13. बी0एससी0 (फारेस्ट्री)

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि बी0फार्म0 का अध्यादेश जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है में भी आवश्यक संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं ताकि PCI द्वारा जारी B.Pharm एवं M.Pharm के नवीन विनियम को अध्यादेश में समाहित किया जा सके। अतः संशोधित B.Pharm अध्यादेश के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि पंचवर्षीय एकीकृत UG/PG पाठ्यक्रमों के अध्यादेशों के अधीन सत्र 2017-18 तक प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर नवीन अध्यादेश लागू नहीं होंगे तथा ऐसे प्रवेशित छात्र एकीकृत UG/PG पाठ्यक्रमों के अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुरूप पाठ्यक्रमों की अधिकतम अवधि पूर्ण होने तक इससे संचालित होंगे। उक्त पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के उपरांत एकीकृत UG/PG पाठ्यक्रमों के अध्यादेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जायेंगे।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक संपन्न हुई।


कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव


कुलपति/अध्यक्ष

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 03.05.2018 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 03.05.2018 को सायं 6:30 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1. प्रो. अंजिला गुप्ता, कुलपति	अध्यक्ष
2. प्रो. पी.के. बाजपेयी	सदस्य
3. प्रो. ए.एस. रणदिवे	सदस्य
4. प्रो. अनुपमा सक्सेना	सदस्य
5. प्रो. मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
6. प्रो. व्ही.डी. रंगारी	सदस्य
7. प्रो. विशन सिंह राठौड़	सदस्य
8. डॉ. रेणु भट्ट	सदस्य
9. डॉ. एस.एस. धुरिया	सदस्य
10. डॉ. एम.सी. राव	सदस्य
11. डॉ. राकेश पाण्डेय	सदस्य
12. प्रो. एम.के. सिंह	विशेष आमंत्रित
13. प्रो. शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्र. 01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.03.2018 एवं स्थगित बैठक दिनांक 12.03.2018 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।


विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.03.2018 एवं स्थगित बैठक दिनांक 12.03.2018 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

विषय क्र. 02 अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला की शैक्षणिक पदों के भर्ती हेतु अर्हता निर्धारण पर विचार करना।

अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला के शैक्षणिक पदों की अर्हता को स्पष्ट करने हेतु गठित समिति की अनुशंसाओं पर विचार करते हुए स्थायी समिति ने विस्तृत चर्चा की। गठित समिति की अनुशंसाये निम्नानुसार हैं :-

- A) The minimum qualification for the appointment of the faculty members for the SoS, Engineering & Technology shall be based on the regulations of UGC/AICTE as amended from time to time.
- B) The desirable qualifications can be prescribed to suit the requirements of the various teaching programmes of SoS, Engineering and Technology.
- C) Candidates with non-engineering background shall be considered as per the UGC regulations and the candidates with engineering background shall be considered as per AICTE regulations.

चर्चा दौरान विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने अनुभव किया कि बिन्दु क्रमांक "A" एवं "C" पर प्राप्त अनुशंसा में और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, अतः समिति ने यह निर्णय


03/05/2018

लिया कि विन्दु क्रमांक "A" एवं "C" को निम्नानुसार प्रावधान से प्रतिस्थापित करते हुए भर्ती विज्ञापन संबंधी कार्यवाही की जाय :-

- A) The minimum qualifications for the appointment in the teaching posts for the SoS, Engineering & Technology shall be based on the regulations of UGC/AICTE as amended from time to time.
- C) Appointment for the post in Engineering and Technology branches (Engineering Trade) shall be as per the eligibility prescribed by AICTE, whereas for other posts in the School of Studies of Engineering and Technology such as Humanities, Basic Sciences, Biology, etc. shall be as per UGC regulations prevailing at the time of advertisement.

विषय क्र. 03 अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला में सत्र 2017-18 के छात्रों द्वारा प्रवेश निरस्त कराये जाने पश्चात् शुल्क वापसी के संबंध में।

यह विषय स्थायी समिति द्वारा स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्र. 04 अध्ययन मण्डल अर्थशास्त्र द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार करना।


समिति ने निर्णय लिया कि अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 05 अध्ययन मण्डल मेकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार।

समिति ने निर्णय लिया कि अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया जाय।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक संपन्न हुई।


03/05/2018
कुलसचिव (कार्यवाहक) / सचिव


कुलपति / अध्यक्ष

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 02.06. 2018 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 02.06.2018 को प्रातः 11:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1. प्रो. अंजिला गुप्ता, कुलपति	अध्यक्ष
2. प्रो. पी.के. बाजपेयी	सदस्य
3. प्रो. ए.एस. रणदिवे	सदस्य
4. प्रो. अनुपमा सक्सेना	सदस्य
5. प्रो. मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
6. डॉ. एस.एस. धुरिया	सदस्य
7. डॉ. एम.सी. राव	सदस्य
8. डॉ. राकेश पाण्डेय	सदस्य
9. प्रो. एम.के. सिंह	विशेष आमंत्रित
10. डॉ. पारिजात ठाकुर	विशेष आमंत्रित
11. डॉ. एस.एस. ठाकुर	विशेष आमंत्रित
12. डॉ. नमिता शर्मा	विशेष आमंत्रित
13. डॉ. अलका मिश्रा	विशेष आमंत्रित
14. डॉ. आर.एस. ठाकुर	विशेष आमंत्रित
15. डॉ. नीलकंठ पानीग्राही	विशेष आमंत्रित
16. प्रो. शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :-

- 01 प्रो. बी. एन. तिवारी
- 02 प्रो. व्ही. एस. राठौर
- 03 प्रो. व्ही. डी रंगारी
- 04 डॉ. रेणु भट्ट

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्र. 01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 03.05.2018 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 03.05.2018 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

विषय क्र. 02 UFM प्रकरण पर जारी किये गये किये दण्ड प्रावधान के व्याख्या पर विचार।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने प्रकरण का अवलोकन किया तथा पाया कि दंड 'ई' के प्रावधान स्पष्ट है तथा दंड में शिथिलता प्रदान नहीं किया जा सकता है।

समिति ने यह भी अनुभव किया इस दंड के अधिरोपण से छात्र/छात्राओं के पाठ्यक्रम की अवधि प्रभावित होती है। अतः समिति ने निर्णय लिया कि छात्र पर आरोपित दंड को यथावत रखा जाय।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि ऐसे समस्त प्रकरणों में दंड अधिरोपित किये जाने की स्थिति में दंड हेतु गंवाये गये अवधि की गणना किसी भी पाठ्यक्रम के पूर्ण करने की

अधिकतम अवधि में नहीं की जायेगी। यह अवधि पृथक से होगी तथा इसे अधिकतम अवधि से कभी भी घटाकर पाठ्यक्रम अवधि की गणना नहीं की जायेगी।

विषय क्र. 03 छात्र परिषद् के अभ्यावेदन दिनांक 10.05.2018 पर विचार ।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि अभ्यावेदन में अंकित बिंदुओं पर वि.वि. द्वारा किये जाने वाली प्रक्रिया एवं विधि मान्य स्थिति का स्पष्ट उल्लेख करते हुए छात्र परिषद् को पत्र के माध्यम से जानकारी प्रेषित की जाये।

विषय क्र. 04 अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला में सत्र 2017-18 में प्रवेशित कतिपय छात्रों के शुल्क वापसी पर विचार।

समिति ने निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 23 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार शुल्क वापसी हेतु AICTE के प्रावधान लागू होंगे एवं AICTE के शुल्क वापसी के प्रचलित प्रावधानानुसार प्रवेशित आवेदकों के द्वारा जमा की गई को लौटाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जाये।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रत्येक प्रकरण का पृथक-पृथक परीक्षण विभाग/अध्ययनशाला स्तर पर कर लिया जाये एवं प्रभावी प्रावधानों के प्रकाश में शुल्क वापसी का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाकर शुल्क लौटाने की कार्यवाही की जाये।

विषय क्र. 05 Centre for Endangered Languages को Anthropology विभाग के अधीन संचालित करने पर विचार ।

समिति ने निर्णय लिया कि Centre for Endangered Languages को पृथक से केन्द्र के रूप में ही संचालित किया जाये ना कि किसी विभाग के अंतर्गत।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि Centre for Endangered Languages के अंतर्गत संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों का निर्धारण BOS, Anthropology द्वारा किया जाये।

समिति ने यह और भी भी निर्णय लिया कि ऐसे पाठ्यक्रम निर्धारण के दौरान आंग्ल एवं विदेशी भाषाएं विभाग के एक या दो विद्वानों को विशेषज्ञ के रूप में बैठक में अवश्य रूप से आमंत्रित किया जाये।

विषय क्र. 06 बालक/बालिका छात्रावासों के वार्डनों की दिनांक 21.05.2018 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर विचार करना।

बालक/बालिका छात्रावासों के वार्डनों की दिनांक 21.05.2018 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर स्थायी समिति ने बिंदुवार चर्चा की तथा निम्नानुसार निर्णय लिये गये -

1. बिंदु क्रमांक 01 से 12 तक (बिंदु क्रमांक 5 को छोड़कर) एवं 14 पर वार्डनों द्वारा लिये गये निर्णयों का स्थायी समिति ने अनुमोदन किया
2. बिंदु क्रमांक 13 के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि अंतिम पंक्ति में सुधार किया जाये तथा निम्न प्रावधान लागू किये जाये -

If the hostellers do not deposit the mess fee upto 10th of the next month, the Concerned Warden will issue a Show Cause notice to the concerned student. In case, the student does not submit his/her reply in due course of time and does not show his/her willingness to deposit the requisite fee, the appropriate action including expulsion of the hostellers from the hostel on the recommendation of the Chief Warden be taken by the competent authority.

3. बिन्दु क्रमांक 14 के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि अंतिम वाक्य (अंतिम तीन लाइनों) में सुधार किया जाये तथा निम्न प्रावधान लागू किया जाये—

For the submission of bills of vender and payment of mess cut to eligible students, a uniform procedure in electronic sheet will be followed and will be provided by the Concerned Warden to Chief Warden through their respective Administrative warden.

4. बिन्दु क्रमांक 15 पर यह निर्णय लिया गया कि केवल Caution Money को Hostel Caution Money लिखा जाये तथा व्यक्ति विशेष पर टूट-फूट की जिम्मेदारी निर्धारित करने एवं अर्थदंड का निर्धारण करने हेतु समिति गठित की जावे। इस समिति के सदस्य मुख्य छात्रावास अधीक्षक, अधिष्ठाता छात्रकल्याण एवं मुख्य कुलानुशासक होंगे। उक्त समिति की अनुशंसा पर ही सक्षम स्वीकृती उपरांत कार्यवाही की जा सकेगी।
5. बिन्दु क्रमांक 16 के संबंध में निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित शुल्क संरचना पर पुनर्विचार हेतु विषय मुख्य अधीक्षक/अधीक्षकों को वापस किया जाये।
6. नवीन बालक छात्रावास की व्यवस्था हेतु मुख्य छात्रावास अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर बिन्दुवार (बिन्दु क्रमांक 1 से 7) चर्चा की गई एवं सभी प्रस्तावों को अनुमोदित किये जाने का निर्णय स्थायी समिति द्वारा लिया गया।

विषय क्र. 07 विभिन्न अध्ययनमण्डलों के बैठक कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

स्थायी समिति ने निम्नलिखित अध्ययनमण्डलों के उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि के कार्यवृत्तों का अनुमोदन किया —


अध्ययनमंडल का नाम	बैठक तिथि
Board of Studies in Chemistry	03-11-17
Board of Studies in Chemical Engg.	15-05-18
Board of Studies in Industrial & Production Engg.	22-02-18
Board of Studies in Information Technology	25-05-18

अध्यक्ष की अनुमति से

- 01 विश्वविद्यालय के कतिपय छात्रावासों के नामकरण पर विचार किया गया। समिति ने निर्णय लिया कि नवीन बालक छात्रावास में से एक बालक छात्रावास का नाम डॉ. भीमराव अंबेडकर बालक छात्रावास रखा जाये तथा दूसरे बालक छात्रावास का नामकरण किये जाने हेतु कुलपति महोदया समिति की ओर से अधिकृत रहेंगी।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि बालिका छात्रावास का नाम राजमोहिनी देवी बालिका छात्रावास रखा जाये।

उपरिथत सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।


कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव


कुलपति/अध्यक्ष

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 14.08.2018 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 14.08.2018 को सायं 04:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदया की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1.	प्रो. अंजिला गुप्ता	अध्यक्ष
2.	प्रो. पी.के. बाजपेयी	सदस्य
3.	प्रो. ए.एस. रणदिवे	सदस्य
4.	प्रो. अनुपमा सक्सेना	सदस्य
5.	प्रो. मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
6.	प्रो. व्ही.डी. रंगारी	सदस्य
7.	प्रो. व्ही.एस. राठौर	सदस्य
8.	डॉ. रेणु भट्ट	सदस्य
9.	प्रो. बी.एन. तिवारी	सदस्य
10.	प्रो० एल.पी. पटैरिया	सदस्य
11.	डॉ. एम.सी. राव	सदस्य
12.	डॉ. राकेश पाण्डेय	सदस्य
13.	श्री एच.एन. चौबे, परीक्षा नियंत्रक	विशेष आमंत्रित
14.	प्रो. एम.के. सिंह	विशेष आमंत्रित
15.	डॉ० आशुतोष सिंह	विशेष आमंत्रित
16.	डॉ० अमितेष झा	विशेष आमंत्रित
17.	प्रो. शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्र. 01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.07.2018 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.07.2018 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

विषय क्र. 02 नेट, गेट इत्यादी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र/छात्राओं को पुरस्कृत किये जाने संबंधी प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करना।

समिति ने यह निर्णय लिया कि वर्तमान में यह विषय स्थगित रखा जाये।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ और कई प्रकार की उपलब्धियों जैसे Best Teacher Award, Best Employee Award, Best Research Paper Award (School wise) इत्यादि के लिए व्यापक नीति तैयार कर, विनियम बनाने हेतु समिति गठित की जाये। समिति के सदस्य नामित किये जाने हेतु कुलपति महोदया अधिकृत रहेंगी।

विषय क्र. 03 शोध उपाधि हेतु समतुल्यता, प्रमाण प्रदान करने पर विचार।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि डॉ० देव कुमार देवांगन को समतुल्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाये।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि भविष्य में यूजीसी रेग्यूलेशन 2009 के अनुसार शोध हेतु समतुल्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए संबंधित अध्ययनशाला के अधिष्ठाता नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

विषय क्र. 04 मेलो मोमेंट्स एनोवेशन हैदराबाद एवं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के मध्य होने वाले मेमोरण्डम ऑफ अंडरस्टेडीज (MoU) प्रारूप अनुमोदन बाबत।

समिति ने यह निर्णय लिया कि MoU करने हेतु प्रस्ताव का प्रारूप में उल्लेखित प्रावधानों के अधीन अनुमोदन ना किया जाये। MoU के प्रावधानों का पुनः परीक्षण कर सरकारी संस्थानों के लिये प्रचलित प्रावधानों के अनुरूप MoU प्रारूपित किया जाकर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि IQAC प्रकोष्ठ एवं समस्त अधिष्ठातागण मिलकर MoU के लिये स्पष्ट नीति तथा प्रारूप का निर्धारण कर प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

विषय क्र. 05 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 अंगीकृत किये जाने पर विचार संबंधी।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतम शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी) विनियम 2018 को अंगीकृत किया जाये।

विषय क्र. 06 शैक्षणिक सत्र 2018-19 में बी.टेक प्रथम वर्ष की कक्षायें दिनांक 20.08.2018 से प्रारम्भ किये जाने की सूचना ग्रहण करना।

स्थायी समिति द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018-19 में बी.टेक प्रथम वर्ष की कक्षायें दिनांक 20.08.2018 से प्रारम्भ किये जाने की सूचना ग्रहण की गई।

समिति ने यह निर्णय लिया कि B.Tech.-1st Year के अकादमिक कैलेण्डर 2018-19 में संशोधन की आवश्यकता है। अतः 1st Year के लिए अकादमिक कैलेण्डर में पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला प्रस्तुत करें।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त अकादमिक कैलेण्डर के संशोधन का अनुमोदन प्रदान करने हेतु कुलपति महोदया अधिकृत रहेंगी।

विषय क्र. 07 राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार (National Academic Depository(NAD) के माध्यम से विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं के विभिन्न प्रमाण पत्रों को Digitalised रूप में उपलब्ध कराने के संबंध में।

01. इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक द्वारा NSDL के online testing portal पर सत्र 2015-16 के उपाधि/पत्रोपाधि पत्रों को e-certificates के रूप में online प्रदर्शित करते हुये जानकारी दी गई कि :-

अ) सत्र 2015-16 के 71 पाठ्यक्रमों के विश्वविद्यालय में उपलब्ध परंपरागत उपाधियों/पत्रोपाधियों के कुल 27 प्रारूप स्कैन कर NSDL को प्रेषित किये गये तथा इस दौरान इन प्रारूपों में जो त्रुटियां परिलक्षित हुई है उनको सुधार करते हुये, कुल 8/09 टेम्पलेट्स online तैयार करा दिये गये है।

इस दौरान परंपरागत उपाधियों/पत्रोपाधियों के उपलब्ध प्रारूपों में जो छोटी-छोटी त्रुटियां थी उन्हें किस प्रकार से निराकृत कर टेम्पलेट्स तैयार किये गये, यह जानकारी भी समिति के समक्ष प्रदर्शित की गई।

ब) विश्वविद्यालय में जो परंपरागत उपाधियों/पत्रोपाधियों के प्रारूप पूर्व में भी विश्वविद्यालय में तैयार नहीं थे/उपलब्ध नहीं थे उन्हें भी किसी न किसी टेम्पलेट में समाहित कर e-certificate तैयार करा लिया गया है।

उदाहरण के लिए ऐसा पाठ्यक्रम B.S.W. एवं BALLB, B.COM LLB है जिनके e-certificate तैयार किये गये हैं।

स) बी.एड., एम.एड. एवं फिजिकल ऐज्युकेशन के प्रारूपों में "एज्युकेशन" शब्द के स्थान पर "एजुकेशन" कर दिया गया है। "समाजकार्य" पाठ्यक्रम से संबंधित प्रारूप में "सोशल" के स्थान पर "सोशल" किया गया है।

द) यह भी जानकारी दी गई कि समस्त पत्रोपाधि/उपाधियों में छात्र/छात्राओं के "हिन्दी" में नाम "गूगल इनपुट" के माध्यम से अंग्रेजी से हिन्दी में रूपांतरित किये गये हैं। विश्वविद्यालय में किसी भी रूप में डाटाबेस में छात्र/छात्राओं के नाम हिन्दी में उपलब्ध नहीं है, अतः उक्त प्रक्रिया में जो हिन्दी नाम गूगल इनपुट में रूपांतरित होकर e-certificate में मुद्रित हो रहे हैं उन्हीं को लिया जा रहा है, इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है तथा यदि रूपांतरित हिन्दी नाम में कोई त्रुटि होती है तो इसे आवेदन करने पर सुधारने का प्रावधान भी है।

ई) समस्त e-certificates को विश्वविद्यालय परीक्षा शाखा के टी.आर. से डाटा परीक्षण कर तैयार कराया जा रहा है।

02. समिति ने NAD Cell के द्वारा किये गये प्रयासों एवं प्रगति की सराहना की।

03. समिति ने निर्णय लिया कि उपाधियों/पत्रोपाधियों में ग्रेड के समतुल्य श्रेणी (Division) का उल्लेख e-certificate में किया जाय।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि परीक्षा शाखा द्वारा परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से अद्यतन कृत एवं प्रस्तुत समस्त कार्यवाही तथा प्रस्तावित फार्मेटों का अनुमोदन किया जाये।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि NAD पर शैक्षणिक सत्र 2012-13 से बाद की जानकारी ही अपलोड की जाये।

विषय क्र. 08 विश्वविद्यालय शोध विनियम 2010 के अधीन शोधरत् शोधार्थियों के लिए फॉर्मेट निर्धारण एवं शोध विनियम में संशोधन हेतु विचार।

समिति ने शोध विनियम 2010 हेतु प्रस्तावित फार्मेटों का अनुमोदन किया।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव में से पैरा 14.4 एवं 14.5 को अमान्य किया जाता है।

समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव के पैरा 14.6 से 14.9 तक को मान्य किया जाये तथा इसे विनियम 2010 क्रमांक 14.4 से 14.7 प्रदान किया जाये।

विषय क्र. 09 विभिन्न विभागों से प्राप्त अध्ययन मण्डल की अनुशंसित पाठ्यक्रमों के अनुमोदन की पृष्टि पर विचार।

स्थायी समिति द्वारा निम्नानुसार शैक्षणिक विभागों के लिये अध्ययन मण्डलों से अनुशंसित पाठ्यक्रमों का अनुमोदन किया गया :-

विभागों के नाम	बैठक दिनांक
01. इले. एवं संचार अभियांत्रिकी विभाग	15.05.2018
02. प्राणीशास्त्र विभाग	06.07.2018
03. फोरेंसिक साइंस विभाग	28.06.2018
04. मानव शास्त्र विभाग	26.06.2018
05. समाज कार्य विभाग	06.07.2018
06. आंग्ल एवं देशी भाषायें विभाग	07.07.2018
07. वाणिज्य विभाग	12.07.2018
08. हिन्दी विभाग	30.06.2018
09. वनस्पति विज्ञान विभाग	28.05.2018
10. प्रबंध अध्ययन विभाग	22.06.2018
11. वानिकी विभाग	26.07.2018
12. राजनीति विज्ञान विभाग	27.06.2018
13. रसायनशास्त्र विभाग	23.06.2018
14. जैव प्रौद्योगिकी विभाग	13.04.2018
15. इतिहास विभाग	09.07.2018
16. अर्थशास्त्र विभाग	13.07.2018
17. पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग	26.07.2018
18. शिक्षा विभाग	29.06.2018

विषय क्र. 10 बिलासपुर विश्वविद्यालय से स्थानांतरित शोधार्थियों के लिए विभागीय शोध समिति (DRC) के गठन पर विचार।

स्थायी समिति द्वारा विषय क्रमांक-10 को आगामी बैठक के लिये स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्र. 11 Centre for Endangered Language हेतु विभिन्न शैक्षणिक/तकनीकी/गैर शैक्षणिक पदों के लिए न्यूनतम अर्हता एवं सेन्टर के अनुरूप आवश्यक पदों के संबंध में विचार करना।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि Centre for Endangered Language हेतु विभिन्न शैक्षणिक/तकनीकी/गैर शैक्षणिक पदों के निर्धारण संबंधी तथा इन पदों के लिए न्यूनतम अर्हता इत्यादी संबंधी उचित प्रस्ताव हेतु एक समिति का गठन किया जावे।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय किया कि उक्त समिति में Centre for Endangered Language के सभी प्रतिनिधि सदस्य होंगे तथा अन्य सदस्यों के नामित करने हेतु कुलपति महोदय/अध्यक्ष अधिकृत रहेंगी।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार

अ.अ.वि.क्र.01 विश्वविद्यालय के IQAC की बैठक दिनांक 14.08.2018 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।


विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने अंकित किया कि सत्र 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के AQAR, विभिन्न शैक्षणिक योजना एवं उपलब्धि तथा गुणवत्ता में सुधार संबंधी प्रारूप के अनुमोदन के संबंध में कुलपति महोदया की अध्यक्षता में IQAC की बैठक दिनांक 14.08.2018 को आयोजित हुई है।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि सत्र 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के AQAR, विभिन्न शैक्षणिक योजना एवं उपलब्धि तथा गुणवत्ता में सुधार संबंधी प्रारूप के अनुमोदन हेतु IQAC की बैठक दिनांक 14.08.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया जाय।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।



कुलसचिव (कार्यवाहक) / सचिव



कुलपति / अध्यक्ष

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ0ग0)

विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24-10-2018 का कार्यवृत्त

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24-10-2018 को अपरान्ह 4.00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई । बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

01	प्रो० अंजिला गुप्ता, कुलपति	अध्यक्षा
02	प्रो० ए.के. सक्सेना	सदस्य
03	प्रो० अनुपमा सक्सेना	सदस्य
04	प्रो० मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
05	प्रो० व्ही०डी० रंगारी	सदस्य
06	प्रो० विशान सिंह राठौड़	सदस्य
07	डॉ० रेणु भट्ट	सदस्य
08	प्रो० बी.एन. तिवारी	सदस्य
09	प्रो० एल.पी. पटैरिया	सदस्य
10	डॉ० एम.सी. राव	सदस्य
11	डॉ० राकेश पाण्डेय	सदस्य
12	प्रो० शैलेन्द्र कुमार (कुलसचिव कार्यवाहक)	सचिव
13	डॉ० एच.एन. चौबे	विशेष आमंत्रित
14	डॉ० ए.के. दीक्षित	विशेष आमंत्रित

बैठक में प्रो० पी०के० बाजपेयी, अधिष्ठाता, भौतिकीय विज्ञान अध्ययनशाला अनुपस्थित थे।

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्र०-01 विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 10-09-2018 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति द्वारा बैठक दिनांक 10-09-2018 के कार्यवृत्तों की सम्पुष्टि की गई।

विषय क्र०-02 अधिष्ठाताओं की समिति की बैठक दिनांक 12-10-2018 के कार्यवृत्त पर विचार।

स्थायी समिति द्वारा अधिष्ठाताओं की समिति की बैठक दिनांक 12-10-2018 के कार्यवृत्त का निम्नानुसार संशोधनों के साथ अनुमोदन किया गया :-

1. डॉ० रेणु भट्ट उक्त बैठक में अनुपस्थित थीं तथा उनके स्थान पर डॉ० अनुपमा सक्सेना, प्रभारी अधिष्ठाता, जीव विज्ञान अध्ययनशाला के रूप में उपस्थित थीं। अतः तदनुसार डॉ० रेणु भट्ट का नाम कार्यवृत्त से विलोपित किया जाये।
2. विषय क्रमंक-02 में प्रश्न पत्रों के दो सेट मंगाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय को CBCS पाठ्यक्रमों एवं Non-CBCS पाठ्यक्रमों दोनों के लिये लागू

किया जाये तथा आवश्यकता पडने पर प्रश्न पत्र का तीसरा सेट भी संबंधित परीक्षक/शिक्षक से मंगाये जाने का प्रावधान जारी किया जाय।

विषय क0-03 अध्यादेश क्रम0क 26 के प्रारूप एवं उक्त अध्यादेश के अन्तर्गत लागू किये जाने वाले UFM संबंधी विनियम के प्रस्तावित प्रारूपों पर विचार।

अध्यादेश क्रम0क 26 के प्रारूप एवं उसके अन्तर्गत निर्मित UFM संबंधी विनियम पर स्थायी समिति द्वारा गहन चर्चा की गई एवं निम्नानुसार संशोधनों के साथ प्रस्तुत प्रारूप का अनुमोदन किया गया :-

1. प्रस्तावित अध्यादेश के पैरा 10 (e) में उल्लेखित प्रावधानों को विलोपित करते हुये निम्नलिखित प्रावधान शामिल किया जाये-

Provisions for appointment of examiners shall be as prescribed in the Regulations of the University and as amended from time to time.

2. प्रस्तावित अध्यादेश के पैरा 37 में उल्लेखित प्रावधानों को निम्नानुसार प्रावधान से प्रतिस्थापित किया जाये-

Matters related to transparency, fairness and grievance redressal system in evaluation shall be governed by the provisions as prescribed in the Regulations and as amended from time to time.

प्रस्तावित अध्यादेश एवं विनियम के प्रारूप का अनुमोदन किया गया ।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्तानुसार उल्लेखित विनियमों के प्रारूप प्रस्तावित करने हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाये -

1. प्रो0 एल0पी0 पटैरिया- संयोजक
2. प्रो0 मनीष श्रीवास्तव
3. प्रो0 व्ही0डी0 रंगारी
4. डॉ0 एम0सी0 राव
5. श्री एच0एन0 चौबे, परीक्षा नियंत्रक

उपरोक्तानुसार समिति यथोचित प्रस्ताव 10 दिवस के भीतर प्रस्तुत करेगी ।

विषय क0-04 शोध अध्यादेश क्रम0क 03 के प्रारूप पर विचार।

शोध अध्यादेश क्रम0क 03 के संशोधित प्रारूप जो कि UGC/MHRD के टीप पर आधारित है पर चर्चा की गई एवं निर्णय लिया गया कि शोध हेतु प्रस्तावित इस अध्यादेश को नवीन

कर्मोंक 71 प्रदान किया जाये तथा शोध अध्यादेश कर्मोंक 03 के प्रावधानों को यथावत रखा जाये।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि UGC/MHRD के टीप पर आधारित नवीन संशोधित अध्यादेश को अध्यादेश कर्मोंक 71 प्रदान करते हुए अनुमोदित किया जाय।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि वर्ष 2009 से लागू शोध अध्यादेश कर्मोंक 03 के प्रावधान तब तक यथावत प्रभावी रहेंगे जब तक कि उक्त अध्यादेश के प्रावधान के अधीन शोधरत् शोधार्थी निर्धारित अवधि में अपना पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं कर लेते हैं।

शोध अध्यादेश कर्मोंक 03 के अधीन शोधरत् शोधार्थियों के पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर यह अध्यादेश स्वमेव निष्प्रभावी हो जायेगा।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि निर्णय तिथि के बाद शोध पाठ्यक्रम में नवीन प्रवेश प्रस्तावित अध्यादेश कर्मोंक 71 के प्रावधानों से शासित होंगे।

विषय क्र०-05 विभागीय शोध समिति (DRC) की संरचना पर विचार।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि नवीन शोध अध्यादेश के अन्तर्गत प्रवेश लेने वाले शोधार्थियों के लिये DRC की संरचना निम्नानुसार होगी, जिसे शोध विनियम 2018 के संशोधन के रूप में विनियम R-11 में निम्नानुसार शामिल कर पढ़ा जायेगा:-

R 11 Departmental Research Committee, Research Advisory Committee and its functions :-

R 11.4 The DRC will put up such recommendations before the School Board and will take appropriate decision.

There shall be a Departmental Research Committee in each department consisting of the following :-

- (i) Head of the Department (Chair); In case the incumbent Head does not possess Ph.D. degree then any Professor as nominated by the Vice-Chancellor shall chair the meeting.
- (ii) One Professor (as external expert, nominated by Vice-Chancellor, who is not in GGV services)
- (iii) Two Professors of the Department, by rotation according to seniority.
- (iv) Two Associate Professors of the Department, by rotation according to seniority.
- (v) Two Assistant Professors of the Department, possessing Ph.D. Degree, by rotation according to seniority.



In case, the Department does not have any Professor/Associate Professor, Head of the concerned department may co-opt members against above said categories from the Professors /Associate Professors of the School of Studies after approval of the Vice-Chancellor.

50% of the members shall constitute a quorum.

The term of the DRC will be for a period of three years form the date of notification.

विषय क०-06 CBCS प्रणाली के तहत संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों के प्रस्तावित योजना पर विचार।

CBCS प्रणाली अधीन प्राप्त अंक योजनाओं का स्थायी समिति ने अनुमोदन किया।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि एजेण्डा में सूचीबद्ध विभागों के अतिरिक्त शेष बचे विभागों से अंक योजना प्राप्त होने पर उक्त अंक योजना के अनुसार कार्यवाही संपादित की जाये।


विषय क०-07 अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।


1. विश्वविद्यालय का सातवों दीक्षांत समारोह दिनांक 16-11-2018 को प्रातः 10:30 बजे से आयोजित है। उक्त दीक्षांत समारोह में श्री गोपाल व्यास जी, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता को आमंत्रित किये जाने का निर्णय स्थायी समिति द्वारा लिया गया।

स्थायी समिति ने सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया कि श्री गोपाल व्यास जी को दीक्षांत समारोह में समाज को उनके विशिष्ट योगदान हेतु इस विश्वविद्यालय की डी०लि० की मानद उपाधि (*Honoris Causa*) से विभूषित किया जाये।

2. स्थायी समिति ने 08 विद्यापीठ मण्डलों (School Boards) (वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययन अध्ययनशाला को छोड़कर)के बैठकों के कार्यवृत्तों का अनुमोदन किया।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि सेमेस्टर परीक्षाओं/शोध ग्रंथों आदि के लिये परीक्षकों के निर्धारण हेतु विद्या परिषद्/स्थायी समिति की ओर से कुलपति सहोदया अधिकृत रहेंगी।


कुलसचिव (कार्यवाहक)


कुलपति/अध्यक्ष


गुरु द्यासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की आवश्यक बैठक दिनांक 15.11.2018 के कार्यवृत्त

विद्यापरिषद् की आवश्यक बैठक दिनांक 15.11.2018 को विश्वविद्यालय के सभागार में माननीय कुलपति महोदया की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

01.	प्रो० अंजिला गुप्ता, कुलपति	अध्यक्ष
02.	प्रो० भारत भास्कर	सदस्य
03.	डॉ० जोरम बेगी	सदस्य
04.	डॉ० एस.बी. कोनाले	सदस्य
05.	श्री प्रदीप देशपाण्डेय	सदस्य
06.	प्रो० ए.के. सक्सेना	सदस्य
07.	प्रो० व्ही.डी. रंगारी	सदस्य
08.	प्रो० अनुपमा सक्सेना	सदस्य
09.	डॉ० रेणु भट्ट	सदस्य
10.	प्रो० पी.के. बाजपेयी	सदस्य
11.	प्रो० मनीष श्रीवास्तव	सदस्य
12.	प्रो० व्ही.ए. राठौर	सदस्य
13.	डॉ० निलकांत पानीग्रही	सदस्य
14.	डॉ० एस.सी. तिवारी	सदस्य
15.	डॉ० पुष्परत्न सिंह	सदस्य
16.	डॉ० बी.डी. मिश्रा	सदस्य
17.	डॉ० ब्रजेश तिवारी	सदस्य
18.	डॉ० गोपा बागची	सदस्य
19.	प्रो० मनीषा दुबे	सदस्य
20.	डॉ० सी.एस. वझलवार	सदस्य
21.	डॉ० अच्युतानंद पण्डा	सदस्य
22.	डॉ० चारु भरोरा	सदस्य
23.	डॉ० सुशील कुमार शाहिल	सदस्य
24.	डॉ० मोनिका भदौरिया	सदस्य
25.	डॉ० राजेश भूषण	सदस्य
26.	डॉ० एम. चक्रधर राव	सदस्य
27.	डॉ० भारती अहिरवार	सदस्य
28.	प्रो० ए.एस. रणदिवे	सदस्य
29.	प्रो० एस.ए. जे. सिंह	सदस्य


15.11.2018

30.	प्रो० एल.पी. पटैरिया	सदस्य
31.	प्रो० बी.एन. तिवारी	सदस्य
32.	प्रो० एम.के. सिंह	सदस्य
33.	डॉ० रश्मि अग्रवाल	सदस्य
34.	डॉ० पारिजात ठाकुर	सदस्य
35.	डॉ० अश्वनी कुमार दीक्षित	सदस्य
36.	डॉ० संजित कुमार सरदार	सदस्य
37.	श्री आर.के. चौबे	सदस्य
38.	डॉ० नमिता शर्मा	सदस्य
39.	श्री अमित बघेल	सदस्य
40.	डॉ० व्ही.व्ही.एस.एस.के. दादी	सदस्य
41.	डॉ० एस.एस. ठाकुर	सदस्य
42.	डॉ० अमितेष झा	सदस्य
43.	अधिष्ठाता छात्रकल्याण	सदस्य
44.	प्रो० प्रतिभा जे. मिश्रा	विशेष आमंत्रित
45.	प्रो. शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव(कार्यवाहक)	सचिव

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं थे :-

01. प्रो० कमलेश पी. जोशीपुरा
02. डॉ० पी.पी. मूर्ति
03. ग्रंथपाल

बैठक के प्रारंभ में अध्यक्ष/कुलपति महोदया की अनुमति से कुलसचिव/सचिव ने विद्यापरिषद की बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों एवं नव सहयोजित सदस्यों का स्वागत किया, तत्पश्चात् अध्यक्ष/कुलपति महोदया ने विद्यापरिषद में नव सहयोजित सदस्यों को विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अधोसंरचनात्मक विकास के संबंध में जानकारी दी ।

कुलपति/अध्यक्ष के उपरोक्त उद्बोधन के पश्चात् अध्यक्ष की अनुमति से विद्यापरिषद के समस्त सदस्यों ने अपना परिचय प्रस्तुत किया । तत्पश्चात् कुलसचिव/सचिव द्वारा विद्यापरिषद में सहयोजित पांच सदस्यों के जीवन परिचय से विद्यापरिषद के सदस्यों को अवगत कराया गया । तत्पश्चात् बैठक प्रारम्भ हुई तथा निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्र.-01 विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 14.10.2017 एवं 01.11.2018 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना ।
विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 14.10.2017 एवं 01.11.2018 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई ।

[Handwritten signature and date 15.11.2018]

विषय क्र.-02

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 02.11.2017, 12.12.2017, 14.02.2018, 09.03.2018/12.03.2018, 03.05.2018, 02.06.2018, 25.06.2018, 13.07.2018, 14.08.2018, 10.09.2018 एवं 24.10.2018 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 02.11.2017, 12.12.2017, 14.02.2018, 09.03.2018/12.03.2018, 03.05.2018, 02.06.2018, 25.06.2018, 13.07.2018, 14.08.2018, 10.09.2018 एवं 24.10.2018 के कार्यवृत्तों का अनुमोदन किया गया।

विषय क्र.-03

विभिन्न विद्यापीठ मण्डलों का गठन एवं विद्यापीठ मण्डल में विद्यापरिषद् की ओर से नामित सदस्यों की पृष्टि करने बाबत।

विद्यापरिषद् द्वारा अंकित किया गया कि विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्यापीठ मण्डलों में विद्यापरिषद् की ओर से कुलपति महोदया द्वारा विषय विशेषज्ञों का नामित किया गया है ताकि विद्यापीठ मण्डलों को प्रदत्त शक्तियों का सुचारु रूप से निष्पादन हो सके।

विद्यापरिषद् द्वारा विभिन्न विद्यापीठ मण्डलों में विद्यापरिषद् की ओर से कुलपति द्वारा नामित विषय विशेषज्ञों का अनुमोदन किया गया।

विषय क्र.-04

विद्यापरिषद् द्वारा परिसंचरण (By circulation) से विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.03.2018 स्थगित बैठक दिनांक 12.03.2018 अध्यक्ष की अनुमति से विषय क्रमांक-05 के निर्णयों का किये गये अनुमोदन की सूचना ग्रहण करना।

विद्यापरिषद् द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्र.-05

विद्यापरिषद् द्वारा परिसंचरण (By circulation) से अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 18.05.2018 के निर्णयों का किये गये अनुमोदन की सूचना ग्रहण करना।

विद्यापरिषद् द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्र.-06

विश्वविद्यालय के अध्ययनशालाओं के अधिष्ठाताओं एवं विभागाध्यक्षों की बैठक दिनांक 05.11.2018 पर विचार।


विद्यापरिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के अध्ययनशालाओं के अधिष्ठाताओं एवं विभागाध्यक्षों की बैठक दिनांक 05.11.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।




इसके पश्चात् कुलपति/अध्यक्ष महोदया द्वारा सहयोजित सदस्यों का पुनः स्वागत करते हुए सहयोजित सदस्यों से उनके अनुभवों एवं विचारों को विद्यापरिषद के सदस्यों से साझा करने का अनुरोध किया गया।

विद्यापरिषद के नये सहयोजित सदस्यों द्वारा विचार प्रस्तुत किये गये तथा विचरोपरांत, विद्यापरिषद द्वारा हॉस्टल मैनेजमेंट विषय पर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु विचार किया गया।

बैठक के अंत में अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।



(प्रो० अंजिला गुप्ता)
कुलपति/अध्यक्ष



(प्रो० शैलेन्द्र कुमार)
कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.09.2021 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.09.2021 को सायं 04:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1.	प्रो० आलोक चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो० ए.के. सक्सेना	सदस्य
3.	प्रो० मनीषा दुबे	सदस्य
4.	प्रो० एस.एस. सिंह	सदस्य
5.	प्रो० जी.के. पात्रा	सदस्य
6.	प्रो० मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
7.	प्रो० प्रतिभा जे. मिश्रा	सदस्य
8.	प्रो० बी.एन. तिवारी	सदस्य
9.	प्रो० व्ही.एस. राठौर	सदस्य
10.	प्रो० डी.एन. सिंह	सदस्य
11.	प्रो० टी.व्ही. अर्जुनन	सदस्य
12.	प्रो० पी.के. बाजपेयी	सदस्य
13.	प्रो० ए.एस. रणदिवे	सदस्य
14.	प्रो० एम.के. सिंह	सदस्य
15.	प्रो० शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :-

1. प्रो० एल.व्ही.के.एस. भास्कर

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्र. 01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.07.2021 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.07.2021 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

विषय क्र. 02 **Considering the modification/change in the conditions for Ph.D. thesis submission in Clause 10.6 of Ph.D. regulations.**

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव अमान्य किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश सूचना जारी किये जाने के उपरान्त ही निर्धारित तिथि पर सभी प्रकार के शोधार्थियों को प्रवेश दिया जाय एवं प्रवेशित तिथि से ही आवश्यक गणनायें की जायें।

विषय क्र. 03 छात्रा भारती कैवर्त्य, बी.ए. तृतीय सेमेस्टर (सत्र 2020-21), मानवशास्त्र का परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने के संबंध में।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रकरण की तथ्यात्मक जांच हेतु एवं यथोचित अनुशंसा प्राप्त करने हेतु तथ्यात्मक जांच समिति बनाई जाये एवं तथ्यात्मक जांच समिति के सदस्य नामित किये जाने हेतु कुलपति मंहोदय विश्वविद्यालय की ओर से अधिकृत रहेंगे।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि तथ्यात्मक जांच समिति गठन तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी एवं यह प्रतिवेदन विद्यापरिषद की स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्र. 04 विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.07.2021 के पूरक विषय क्रमांक-2 (Payment of Non-NET Fellowship to Shri Rudra Pratap Sibgh, Student of Journalism and Mass Communication Department) में लिये गये निर्णय अनुसार गठित समिति की अनुशंसाओं का स्थायी समिति के सदस्यों द्वारा किये गये अनुमोदन की पृष्टि हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि कृत कार्यवाही की पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 05 Consideration for adopting the CBCS regulation for PG Programmes from forth coming Academic Session 2021-22.

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विनियम को अधिष्ठातागण द्वारा सुझाये गये संशोधनों के साथ विनियम अनुमोदित किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि CBCS के नोडल अधिकारी डॉ० अश्वनी दीक्षित द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जिस पर विभागों से जानकारी मंगाये जाने संबंधी प्रपत्र प्रारूप प्रस्तुत किया गया है का अनुमोदन किया जाय।

पूरक कार्यसूची

पू.विषय क्र. 1 Regarding the "Starting of M.Tech program" in (1) Department of Electronics & Communication Engineering, and (2) Department of Computer Science & Engineering, SoS, Engineering & Technology in academic session 2021-22.

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय एवं इस संबंध में प्रवेश सूचना शुद्धि पत्र जारी किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त दोनों पाठ्यक्रमों के प्रवेश सूचना में न्यूनतम सीट संख्या 18 (EWS के अलावा) निम्नलिखित शर्तों के साथ विज्ञापित किया जाय—

1. उक्त दोनों पाठ्यक्रम वर्तमान में AICTE से अनुमोदित नहीं है कि जानकारी भी प्रवेश सूचना में शामिल की जाये।
2. चूंकि AICTE से पाठ्यक्रम अनुमोदित नहीं है, इसलिए पाठ्यक्रम का संचालन न्यूनतम 05 विद्यार्थी होने पर ही किया जायेगा।
3. उक्त दोनों पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होगा।

- विषय क्र. 2 **अध्ययन मण्डल ई.सी. इंजीनियरिंग विभाग द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम के अनुमोदन की पुष्टि पर विचार।**
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अनुशंसित पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया जाय। संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रस्तुत पाठ्यक्रम एवं अंक योजना विश्वविद्यालय के प्रभावी अध्यादेशों के अनुरूप होना सुनिश्चित करेंगे।
- विषय क्र. 3 **अध्ययन मण्डल सिविल इंजीनियरिंग विभाग की अनुशंसित बी.टेक की पाठ्यक्रम एवं अंक योजना के अनुमोदन पर विचार।**
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अनुशंसित पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया जाय। संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रस्तुत पाठ्यक्रम एवं अंक योजना विश्वविद्यालय के प्रभावी अध्यादेशों के अनुरूप होना सुनिश्चित करेंगे।
- विषय क्र. 4 **विश्वविद्यालय के अधिष्ठाताओं एवं विभागाध्यक्षों की बैठक दिनांक 06.08.2021 के कार्यवृत्त पर विचार।**
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि यह विषय मुख्य कार्यसूची के विषय क्रमांक-5 के सुसंगत है। अतः इस संबंध में कार्यवाही मुख्य कार्यसूची के विषय क्रमांक-5 में लिये गये निर्णय के अनुसार सम्पादित की जाय।
- विषय क्र. 5 **अध्ययन मण्डल मेकेनिकल इंजीनियरिंग के कार्यवृत्त दिनांक 22.07.2021 पर विचार।**
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अनुशंसित पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया जाय। संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रस्तुत पाठ्यक्रम एवं अंक योजना विश्वविद्यालय के प्रभावी अध्यादेशों के अनुरूप होना सुनिश्चित करेंगे।
- विषय क्र. 6 **वाणिज्य विभाग द्वारा प्रस्तावित एम.कॉम पाठ्यक्रम के नवीन अध्यादेश प्रारूप पर विचार।**
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव पर CBCS के लिये विषय क्रमांक 05 में प्रस्तावित विनियमों के प्रकाश में अधिष्ठाताओं की बैठक में विचार किया जाय एवं अधिष्ठाताओं की अनुशंसा के साथ अध्यादेश का प्रारूप प्रस्तुत किया जाय।
- विषय क्र. 7 **विधि विभाग द्वारा प्रस्तावित VRET प्रवेश पाठ्यक्रम एवं Pre-Ph.D. पाठ्यक्रम पर विचार।**
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अनुशंसित पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया जाय। संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रस्तुत पाठ्यक्रम एवं अंक योजना विश्वविद्यालय के प्रभावी अध्यादेशों के अनुरूप होना सुनिश्चित करेंगे।

- विषय क्र. 8 जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रस्तावित एम.एससी. पाठ्यक्रम के अर्हता पर विचार।
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय तथा उल्लेखित विषयों में Biomedical Sc. को भी समाहित कर लिया जाये।
- विषय क्र. 9 विश्वविद्यालय के अकादमी एवं परीक्षा के नीति निर्धारण हेतु गठित समिति के कार्यवृत्त दिनांक 06.08.2021 पर विचार।
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि बैठक दिनांक 06.08.2021 के कार्यवृत्त के एजेंडा क्रमांक-2 में प्राप्त अनुशंसा को अमान्य करते हुए शेष 05 विषयों पर प्राप्त अनुशंसाओं को अनुमोदित किया जाय।
- विषय क्र. 10 अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 02.09.2021 के कार्यवृत्त पर विचार।
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 02.09.2021 में प्राप्त VET/VRET संबंधी प्रस्ताव, एलुमनी एशोसियेशन के बायलॉज, प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर 2021-22 के अकादमिक कैलेंडर संबंधी अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जाय।
- विषय क्र. 11 **To consider the proposal related to VET and VRET Admission Notice 2021-22.**
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि VET/VRET प्रवेश सूचना 2021-22 हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों का अनुमोदन किया जाय।
स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रवेश सूचना दिनांक 08.09.2021 को जारी करते हुए दिनांक 23.09.2021 तक ऑनलाईन आवेदन मंगाये जाए। दिनांक 30.09.2021 एवं 01.10.2021 को ऑनलाईन प्रवेश परीक्षा आयोजित कराकर दिनांक 06.10.2021 को परिणाम घोषित कर दिये जाय एवं 11.10.2021 से कॉन्सिलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ कर दिया जाय।
स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि प्रवेश विज्ञापन प्रारूप में लिखे नोट 01 को विलोपित किया जाय एवं शेष दो शर्तों को यथावत् रहने दिया जाय।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव (प्रभारी) / सचिव

कुलपति / अध्यक्ष


गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की आपात बैठक दिनांक 25.11.2021 का कार्यवृत्त

विद्यापरिषद् की आपात बैठक दिनांक 25.11.2021 को सायं 04:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

01.	प्रो० आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
02.	प्रो० ए.एस. रणदिवे	सदस्य
03.	प्रो० एस.एस. सिंह	सदस्य
04.	प्रो० एल.व्ही.के.एस. भास्कर	सदस्य
05.	प्रो० जी.के. पात्रा	सदस्य
06.	प्रो० डी.एन. सिंह	सदस्य
07.	प्रो० मनीष श्रीवास्तव	सदस्य
08.	प्रो० टी.व्ही. अर्जुनन	सदस्य
09.	प्रो० पी.के. बाजपेयी	सदस्य
10.	प्रो० बी.एन. तिवारी	सदस्य
11.	डॉ० गोपा बागची	सदस्य
12.	डॉ० नीलकांत पानीग्रही	सदस्य
13.	प्रो० अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
14.	डॉ० रेणु भट्ट	सदस्य
15.	प्रो० ए.के. सक्सेना	सदस्य
16.	डॉ० डॉ. के.के. चंद्रा	सदस्य
17.	डॉ० पी.पी. मूर्ती	सदस्य
18.	डॉ० पुष्पराज सिंह	सदस्य
19.	डॉ० बी.डी. मिश्रा	सदस्य
20.	प्रो० प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
21.	डॉ० संजीत कुमार	सदस्य
22.	प्रो० अनुपमा सक्सेना	सदस्य
23.	डॉ० सुशील कुमार शाहिल	सदस्य
24.	डॉ० ए.के. चंद्राकर	सदस्य
25.	डॉ० आलोक कुमार कुशवाहा	सदस्य
26.	डॉ० रोहित राजा	सदस्य
27.	प्रो० एस.सी. श्रीवास्तव	सदस्य
28.	डॉ० एम. चक्रधर राव	सदस्य
29.	प्रो० हरीश कुमार	सदस्य
30.	प्रो० प्रदीप शुक्ला	सदस्य
31.	प्रो० एम.के. सिंह	सदस्य
32.	प्रो० प्रतिभा जे. मिश्रा	सदस्य
33.	डॉ० पारिजात ठाकुर	सदस्य
34.	डॉ० आर.के. चौबे	सदस्य
35.	डॉ० अरुण कुमार सिंह	सदस्य
36.	डॉ० सोमा दास	सदस्य
37.	डॉ० एस.एस. धुरिया	सदस्य


25/11/2021


25/11/21

38.	डॉ० एस.के. प्रजापति	सदस्य
39.	श्री दिलिप झा	सदस्य
40.	डॉ० विकास कुमार पाण्डेय	सदस्य
41.	डॉ० डॉ० राघवेन्द्र सिंह ठाकुर	सदस्य
42.	डॉ० बी.आर. रावटे	सदस्य
43.	डॉ० ए.के. शर्मा, ग्रंथपाल	सदस्य
44.	डॉ० एम.एन. त्रिपाठी, अधिष्ठाता छात्रकल्याण	सदस्य
45.	डॉ० संजीत सरदार	सदस्य
46.	डॉ० व्ही.व्ही.एस.के. दादी	सदस्य
47.	प्रो. शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव(कार्यवाहक)	सचिव

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं थे :-

01. प्रो० व्ही.एस. राठौर
02. डॉ० ब्रजेश तिवारी
03. प्रो० व्ही.डी. रंगारी
04. प्रो० एस.एन. साहा

बैठक के प्रारंभ में कुलपति/अध्यक्ष विद्यापरिषद् ने विद्यापरिषद् के समस्त सम्माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विकास में विद्यापरिषद् की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की एवं सदस्यों से आह्वान किया कि विश्वविद्यालय को वैश्विक स्तर पर स्थान दिलाने के लिए विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्य एकजुट होकर कार्य करेंगे।

इसके पश्चात् अध्यक्ष की अनुमति से विषय वस्तु पर चर्चा प्रारम्भ हुई, जिसमें निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्र.-01 विद्यापरिषद् की आवश्यक बैठक दिनांक 27.08.2021 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

विद्यापरिषद् की आवश्यक बैठक दिनांक 27.08.2021 के कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई।

विषय क्र.-02 विद्यापरिषद् की आवश्यक बैठक दिनांक 27.08.2021 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।

विद्यापरिषद् की आवश्यक बैठक दिनांक 27.08.2021 के पालन प्रतिवेदन से अवगत हुए एवं सूचना ग्रहण की।


विषय क्र.-03 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.09.2021, 14.09.2021 एवं 01.10.2021 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.09.2021, 14.09.2021 एवं 01.10.2021 के कार्यवृत्तों का अनुमोदन किया गया।

विषय क्र.-04 अध्यादेश क्रमांक-80 "The Alumani Association" के अनुमोदन के संबंध में।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अध्यादेश क्रमांक-80 "The Alumani Association" का अनुमोदन निम्नानुसार संशोधन के साथ किया जाय :-


25/11/21


25/11/2021

प्रस्तावित अध्यादेश के पैरा V(b) को निम्नानुसार पढ़ा जाय—

Any former student, members of the staff or ex-member of the staff who have participated in any program of the University who..... in clause V(b).

विषय क्र.—05

सचिव, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के साथ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ आयोजित बैठक दिनांक 21.10.2021 के कार्यवृत्त के संबंध में।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि सचिव, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के साथ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ आयोजित बैठक दिनांक 21.10.2021 में लिये गये निर्णयों को अंगीकृत किया जाय।

विषय क्र.—06

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के नौवें दीक्षांत समारोह में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के उपाधियों का वितरण किये जाने पर विचार।

विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि शैक्षणिक सत्र 2019-20 एवं 2020-21 के उपाधियों के वितरण हेतु नौवें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाय।

विद्यापरिषद ने यह भी निर्णय लिया कि नौवें दीक्षांत समारोह में आठवें दीक्षांत समारोह में वितरित शोध उपाधियों के बाद पात्र पाये गये शोधार्थियों को एवं तब से लेकर दिनांक 31.12.2021 तक शोध उपाधि हेतु पात्र पाये गये शोधार्थियों को शोध उपाधि प्रदान की जाय।

विद्यापरिषद ने यह और भी निर्णय लिया कि नौवें दीक्षांत समारोह के आयोजन हेतु संभावित तिथि 15 जनवरी है तथापि आयोजन तिथि के निर्धारण हेतु कुलपति महोदय विद्यापरिषद की ओर से अधिकृत रहेंगे।

विषय क्र.—07

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम क्रमांक-13 की कंडिका (1)(ix) के प्रावधानानुसार विद्यापरिषद् द्वारा शैक्षणिक प्रगति एवं विकास का विशेष ज्ञान रखने वाले 5 व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो, के सहयोजन पर विचार करना।


विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009, परिनियम क्रमांक-13 की कंडिका (1)(ix) के प्रावधानानुसार विद्यापरिषद् की ओर से विद्यापरिषद में 5 व्यक्तियों के सहयोजन हेतु कुलपति/अध्यक्ष विद्यापरिषद को अधिकृत किया जाता है।

विषय क्र.—08

विद्यापरिषद की स्थायी समिति में विद्यापरिषद द्वारा अपने सदस्यों में से 04 सदस्यों के नामित किये जाने पर विचार करना।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की ओर से विद्यापरिषद की स्थायी समिति में 4 सदस्यों के नामांकन हेतु कुलपति/अध्यक्ष विद्यापरिषद को अधिकृत किया जाता है।


25/11/21


25/11/2021

विषय क्र.-09

एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) प्रौद्योगिकी केंद्र, दुर्ग (भारत सरकार का एक समाज, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय) के साथ समझौता ज्ञापन के लिए मसौदा प्रस्ताव के अनुमोदन पर विचार करना।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) प्रौद्योगिकी केंद्र, दुर्ग (भारत सरकार का एक समाज, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय) एवं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के मध्य समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षर करने हेतु गठित समिति की अनुशंसा अनुसार समझौता ज्ञापन (MoU) संपादित किया जाय।

विषय क्र.-10

सिपेट, रायपुर के साथ समझौता ज्ञापन का मसौदा प्रस्ताव।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि सिपेट, रायपुर एवं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के मध्य समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षर करने हेतु गठित समिति की अनुशंसा अनुसार समझौता ज्ञापन (MoU) संपादित किया जाय।

विषय क्र.-11

स्मार्ट ब्रिज एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन का मसौदा प्रस्ताव। लिमिटेड, हैदराबाद।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि स्मार्ट ब्रिज एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एवं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के मध्य समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षर करने हेतु गठित समिति की अनुशंसा अनुसार समझौता ज्ञापन (MoU) संपादित किया जाय।

विषय क्र.-12


बी इनक्यूब-इनक्यूबेशन सेंटर, बिलासपुर के साथ समझौता ज्ञापन का मसौदा प्रस्ताव।


विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि बी इनक्यूब-इनक्यूबेशन सेंटर, बिलासपुर एवं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के मध्य समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षर करने हेतु गठित समिति की अनुशंसा अनुसार समझौता ज्ञापन (MoU) संपादित किया जाय।

विषय क्र.-13

ए2 पर्यावरण, रायपुर के साथ समझौता ज्ञापन का मसौदा प्रस्ताव।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि बी ए2 पर्यावरण, रायपुर एवं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के मध्य समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षर करने हेतु गठित समिति की अनुशंसा अनुसार समझौता ज्ञापन (MoU) संपादित किया जाय।


25/11/21


25/11/2021

विषय क्र.-14

वाणिज्य विभाग द्वारा मूल्य वर्धित सर्टिफिकेट कोर्स प्रारम्भ किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार करना।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्यापीठ के अंतर्गत संचालित वाणिज्य विभाग द्वारा निम्नलिखित 07 मूल्य वर्धित सर्टिफिकेट कोर्स प्रारम्भ किये जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

Sr. No.	Name of the Value added Course	No. of Seats
1.	Certificate Course on Digital Marketing	30
2.	Certificate Course on Income Tax Return & e-filing	30
3.	Certificate Course on GST (Goods & Service Tax)	30
4.	Certificate Course on E-Tax Consultant	30
5.	Certificate Course on Life Skills & Communication	30
6.	Certificate Course on Microsoft office	30
7.	Certificate Course on Sustainable Development & Environmental Management	30

विद्यापरिषद ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त पाठ्यक्रमों को मूल्य वर्धित पाठ्यक्रमों हेतु बनाये जाने वाले प्रावधानों/अध्यादेशों के अंतर्गत शामिल करते हुए विद्यार्थियों का अतिरिक्त क्रेडिट प्रदान किया जाय।

विषय क्र.-15

प्रौद्योगिकी संस्थान, फॉर्मसी एवं विधि विभागों में संचालित पृथक-पृथक पुस्तकालयों को केन्द्रीय ग्रंथालय के साथ विलय किये जाने पर विचार करना।

विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तावानुसार फॉर्मसी विभाग, प्रौद्योगिकी संस्थान एवं विधि विभाग के ग्रंथालयों का केन्द्रीय ग्रंथालय में विलय कर दिया जाय।

विद्यापरिषद ने यह भी निर्णय लिया कि विधि विभाग BCI के प्रावधानानुसार विभागीय पुस्तकालय का रिकार्ड संधारित करें।

विषय क्र.-16


विभागीय शोध समिति की अनुशंसानुसार श्रीमती मीनाक्षी जायसवाल, सहायक प्राध्यापक, फॉर्मसी विभाग को VRET Exempted श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत किये जाने तथा कोर्स वर्क से छूट प्रदान किये जाने पर विचार करना।


विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि श्रीमती मीनाक्षी जायसवाल को विश्वविद्यालय में प्रभावी शोध विनियम 2018 के प्रावधानों के अधीन शोध कार्य करने एवं शोध उपाधि पाठ्यक्रम में शामिल होने हेतु अनुमति प्रदान की जाय।

विषय क्र.-17

श्री ए. श्रीराम के संबंध में वाणिज्य विभाग से प्राप्त कार्यवृत्त पर विचार।

विद्यापरिषद के समक्ष वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो० ए.के. मिश्रा ने यह जानकारी दी कि श्री ए. श्रीराम ने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के शोध उपाधि पाठ्यक्रम में शामिल न होने संबंधी आवेदन विभाग में प्रस्तुत किया है, अतः विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव को अमान्य किया जाय।


25/11/21


25/11/2021

विषय क्र.-18

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (आई.टी.) से एम.टेक. (नियमित 02 वर्ष) करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय बाबत।

विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि इस विषय तथा अन्य सुसंगत विषय पर नीति निर्धारित करने हेतु यथोचित प्रस्ताव प्राप्त करने समिति गठित की जाय।

विद्यापरिषद ने यह भी निर्णय लिया कि समिति के सदस्य नामित करने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।

विषय क्र.-19

कैरियर परामर्श और विकास प्रकोष्ठ (Career Counselling and Development Cell) बनाये जाने के संबंध में विचार करना।

विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र.-20

अध्ययन मण्डल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बैठक दिनांक 30.09.2021 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अध्ययन मण्डल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बैठक दिनांक 30.09.2021 की अनुशंसा का अनुमोदन किया जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रस्तुत पाठ्यक्रम एवं अंक योजना विश्वविद्यालय के प्रभावी अध्यादेशों के अनुरूप होना सुनिश्चित करेंगे।

विषय क्र.-21

अध्ययन मण्डल संगणक विज्ञान एवं इंजीनियरिंग की बैठक दिनांक 01.10.2021 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अध्ययन मण्डल संगणक विज्ञान एवं इंजीनियरिंग की बैठक दिनांक 01.10.2021 की अनुशंसा का अनुमोदन किया जाय।


यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रस्तुत पाठ्यक्रम एवं अंक योजना विश्वविद्यालय के प्रभावी अध्यादेशों के अनुरूप होना सुनिश्चित करेंगे।


विषय क्र.-22

अध्ययन मण्डल सिविल इंजीनियरिंग की बैठक दिनांक 03.10.2021 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अध्ययन मण्डल सिविल इंजीनियरिंग की बैठक दिनांक 03.10.2021 की अनुशंसा का अनुमोदन किया जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रस्तुत पाठ्यक्रम एवं अंक योजना विश्वविद्यालय के प्रभावी अध्यादेशों के अनुरूप होना सुनिश्चित करेंगे।


25/11/21


25/11/2021

विषय क्र.-23

अध्ययन मण्डल समाजकार्य विभाग की बैठक दिनांक 06.09.2021 में अनुशंसित प्री-पीएच.डी. पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार करना।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत पाठ्यक्रम पुनर्विचार हेतु अध्ययन मण्डल समाज कार्य विभाग को लौटा दिया जाय।

विषय क्र.-24

एम.टेक अध्यादेश (CBCS) का प्रारूपित पर विचार बाबत।

विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत अध्यादेश प्रारूप का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र.-25

पी.जी.डी.सी.एल (डिप्लोमा) तथा सी.सी.सी.एल. (सर्टिफिकेट) कोर्स हेतु प्रसारित किये गये अध्यादेश क्रमांक-81 एवं क्रमांक-82 की कार्योत्तर अनुमोदन पर विचार करना।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किया जाय।

विषय क्र.-26

एम.ए., एम.एससी., एम.कॉम तथा एम.एस.डब्ल्यू पाठ्यक्रम हेतु प्रसारित किये गये अध्यादेश क्रमांक-77, 78, 79 एवं क्रमांक-83 के कार्योत्तर अनुमोदन पर विचार करना।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किया जाय।

विषय क्र.-27

विद्यापीठ इंजीनियरिंग एवं टेक्नालॉजी के अधीन संचालित एम.टेक कोर्स I, II एवं III, IV सेमेस्टर के लिये प्रस्तावित अकादमिक कैलण्डर सत्र 2021-22 पर विचार।


बैठक के दौरान अधिष्ठाता अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला के द्वारा एम.टेक. के तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर हेतु संशोधित अकादमिक कैलण्डर प्रस्तुत किया। अतः विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि एम.टेक. पाठ्यक्रम के प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर हेतु प्रस्तावित अकादमिक कैलण्डर एवं विद्यापरिषद के समक्ष प्रस्तुत तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के संशोधित अकादमिक कैलण्डर का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र.-28

विश्वविद्यालय में संचालित कोर्स-पी.जी. डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स कम्प्युटेशनल लिंगविस्टिक में प्रवेश हेतु पुनः विज्ञापन करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार।

विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

विद्यापरिषद ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित शुल्क संरचना पर विभाग द्वारा पुनर्विचार किया जाय एवं यथोचित शुल्क संरचना का निर्धारण किया जाय।


25/11/21

विषय क्र.-29

अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 01.11.2021 के कार्यवृत्त पर विचार।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 01.11.2021 में की गई अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र.-30

अध्ययन मण्डल केमिकल इंजीनियरिंग की बैठक दिनांक 01.10.2021 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अध्ययन मण्डल केमिकल इंजीनियरिंग की बैठक दिनांक 01.10.2021 की अनुशंसा का अनुमोदन किया जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रस्तुत पाठ्यक्रम एवं अंक योजना विश्वविद्यालय के प्रभावी अध्यादेशों के अनुरूप होना सुनिश्चित करेंगे।

विषय क्र.-31

अध्ययन मण्डल इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग की बैठक दिनांक 30.09.2021 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अध्ययन मण्डल इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग की बैठक दिनांक 30.09.2021 की अनुशंसा का अनुमोदन किया जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रस्तुत पाठ्यक्रम एवं अंक योजना विश्वविद्यालय के प्रभावी अध्यादेशों के अनुरूप होना सुनिश्चित करेंगे।

विषय क्र.-32

अध्ययन मण्डल ग्रामीण प्रौद्योगिकी की बैठक दिनांक 01.11.2021 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अध्ययन मण्डल ग्रामीण प्रौद्योगिकी की बैठक दिनांक 01.11.2021 की अनुशंसा का अनुमोदन किया जाय।


यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रस्तुत पाठ्यक्रम एवं अंक योजना विश्वविद्यालय के प्रभावी अध्यादेशों के अनुरूप होना सुनिश्चित करेंगे।


विषय क्र.-33

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर में सेवारत श्री सूरज कुमार मेहर उप-कुलसचिव (कुलपति के निज सचिव), श्री अन्नलाल महतो, सहायक वर्कशॉप अधीक्षक द्वारा पीएच.डी. करने हेतु तथा श्री नरेन्द्र कुमार, प्रयोगशाला सहायक के द्वारा एम.टेक (इलेक्ट्रिकल एण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग) प्रायोजन उम्मीदवार (स्पॉन्सरशिप कैण्डिडेट) के अध्ययन करने हेतु मांगी गई अनुमति पर विचार करना।

विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि इस विषय तथा अन्य सुसंगत विषय पर नीति निर्धारित करने हेतु यथोचित प्रस्ताव प्राप्त करने समिति गठित की जाय।

विद्यापरिषद ने यह भी निर्णय लिया कि समिति के सदस्य नामित करने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।


25/11/21


25/11/2021

विषय क्र.-34

लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल, बिलासपुर (छ.ग.) के साथ समझौता ज्ञापन का मसौदा प्रस्ताव पर विचार करना।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल, बिलासपुर एवं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के मध्य समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षर करने हेतु गठित समिति की अनुशंसा अनुसार समझौता ज्ञापन (MoU) संपादित किया जाय।

पूरक कार्यसूची

पूरक वि.क्र. 01.

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (EDII), अहमदाबाद के बीच समझौता ज्ञापन।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (EDII), अहमदाबाद एवं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के मध्य समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षर करने हेतु गठित समिति की अनुशंसा अनुसार समझौता ज्ञापन (MoU) संपादित किया जाय।

पूरक वि.क्र. 02.

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर), लखनऊ, भारत के बीच समझौता ज्ञापन।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर), लखनऊ, भारत एवं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के मध्य समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षर करने हेतु गठित समिति की अनुशंसा अनुसार समझौता ज्ञापन (MoU) संपादित किया जाय।

पूरक वि.क्र. 03.


फार्मसी विभाग और एस.एम.बी.टी. फार्मसी कॉलेज, नासिक के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।


विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि फार्मसी विभाग और एस.एम.बी.टी. फार्मसी कॉलेज, नासिक के मध्य समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षर करने हेतु गठित समिति की अनुशंसा अनुसार समझौता ज्ञापन (MoU) संपादित किया जाय।

पूरक वि.क्र. 04.

फार्मसी विभाग और एंक्रोम एंटरप्राइजेज (आई) प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि फार्मसी विभाग और एंक्रोम एंटरप्राइजेज (आई) प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई के मध्य समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षर करने हेतु गठित समिति की अनुशंसा अनुसार समझौता ज्ञापन (MoU) संपादित किया जाय।



25/11/21


25/11/2021

- पूरक वि.क्र. 05.** आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ समिति की बैठक दिनांक 01.11.2021 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।
विद्यापरिषद ने प्रस्तुत आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ समिति की बैठक दिनांक 01.11.2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया।
- पूरक वि.क्र. 06.** श्रीमती आकांक्षा गुप्ता, सहायक आचार्य, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पीएच.डी. VRET 2021 नॉन एक्जम्प्टेड कैटेगिरी से प्रवेश हेतु प्रस्तुत आवेदन पर विचार करना।
विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव को अमान्य किया जाय।
- पूरक वि.क्र. 07.** 2019-20, 2020-21 के दौरान सीएस के तहत संकाय सदस्यों की पदोन्नति के लिए 360° फीडबैक हेतु अंक निर्धारण के संबंध में।
विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव पर एआईसीटीई से अभिमत/निर्देश प्राप्त किया जाय। एआईसीटीई से अभिमत/निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त विषय पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है।
- पूरक वि.क्र. 08.** गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और छात्र कल्याण न्यास छत्तीसगढ़ के बीच समझौता ज्ञापन।
विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और छात्र कल्याण न्यास छत्तीसगढ़ के मध्य समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षर करने हेतु गठित समिति की अनुशंसा अनुसार समझौता ज्ञापन (MoU) संपादित किया जाय।
- पूरक वि.क्र. 09.** कला विद्यापीठ के अंतर्गत महिमा गुरुपीठ की स्थापना हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना।
विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।
विद्यापरिषद ने यह भी निर्णय लिया कि कला विद्यापीठ के अंतर्गत महिमा गुरुपीठ की स्थापना हेतु यथोचित अनुमोदन शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त कर लिया जाय।
- पूरक वि.क्र. 10.** राष्ट्रीय ध्वजारोहण के स्थान को "प्रशासनिक भवन के पिछले भाग" से "प्रशासनिक भवन के निकट स्थित खुले मंच" में स्थानांतरित करना।
विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।



25-11-21





25/11/2021

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

- अ.वि.क्र. 01. इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजिनियरिंग विभाग में एम.टेक. (सत्र 2021-22) हेतु न्यूनतम छात्र संख्या पर विचार संबंधी।
विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि निवर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए छात्र संख्या कम होने पर भी उक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाय।
- अ.वि.क्र. 02. अध्ययन मण्डल वनस्पति विज्ञान विभाग के द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना पर विचार।
विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि वनस्पति विभाग के अध्ययन मण्डल द्वारा बैठक दिनांक 29.10.2021 के माध्यम से प्रस्तावित अंक योजना एवं पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया जाय।
यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रस्तुत पाठ्यक्रम एवं अंक योजना विश्वविद्यालय के प्रभावी अध्यादेशों के अनुरूप होना सुनिश्चित करेंगे।
- अ.वि.क्र. 03. अध्ययन मण्डल संगणक विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना पर विचार।
विद्यापरिषद ने ने यह निर्णय लिया कि संगणक विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अध्ययन मण्डल के द्वारा बैठक दिनांक 01.11.2021 के माध्यम से प्रस्तावित अंक योजना एवं पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया जाय।
यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रस्तुत पाठ्यक्रम एवं अंक योजना विश्वविद्यालय के प्रभावी अध्यादेशों के अनुरूप होना सुनिश्चित करेंगे।

बैठक के अंत में, कुलसचिव/सचिव ने बैठक में उपस्थित सदस्यों तथा अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।


(प्रो० आलोक कुमार चक्रवाल)
कुलपति/अध्यक्ष


(प्रो० शैलेंद्र कुमार)
कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव